अर्थव्यवस्था

आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, अर्थव्यवस्था कहलाती है। आर्थिक गतिविधियाँ में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है–

1. वस्तु और सेवाओं का उत्पादन
2. उनका उपभोग
3. मौद्रिक लेन–देन

अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है–

पूंजीवाद	साम्यवाद
• ये स्वतंत्रता के समर्थक होते हैं।	• ये समानता के समर्थक होते हैं।
• ये निजी सम्पति को मान्यता देते है।	• ये निजी सम्पति को मान्यता नहीं देते हैं।
• बाजार पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है अर्थात् मुक्त बाजार नीतियाँ अपनायी जाती है।	• बाजार पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण।
• संसाधनों का वितरण मेरिट के आधार पर	• संसाधनों का वितरण आवश्यकता के आधार पर
• लोकतांत्रिक सरकार	• तानाशाही
• अहिंसा का समर्थन	• हिंसा का समर्थन
• वर्ग संघर्ष के साथ–साथ वर्ग सहयोग	• वर्ग संघर्ष
• धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है	• ये धार्मिक रूप से नास्तिक होते है धर्म की तुलना अफीम से की गयी है।
• मुख्य विचारक– ''एडम स्मिथ'' पुस्तक– The Wealth of Nations-1776	• मुख्य विचारक ''कॉर्ल मार्क्स'' (पुस्तक –दास केपिटल, कम्यूनिस्ट मेनिफेस्टो)

- 1917 ई. में लेनिन के नेतृत्व में बौल्शेविक क्रांति हुई जिसमें रूस के राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया तथा साम्यवाद की स्थापना की गई।
- 1922 ई. में USSR (Union of soviet socialist Republics) की स्थापना की गयी।
- लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन यहाँ का नया तानाशाह बना।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद USA और USSR के बीच एक वैचारिक युद्ध शुरू हुआ जिसे शीतयुद्ध कहा गया।
- इसमें USA ने पूंजीवाद और USSR ने साम्यवाद का नेतृत्व किया।
- 1991 में USSR का विघटन हो गया तथा शीत युद्ध समाप्त हो गया। इसमें पूंजीवाद की जीत हुई तथा साम्यवाद की हार हुई।
- 1949 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई–माओ जिदांग के नेतृत्व में।
- 1978 ई. में चीन में आर्थिक सुधार लागू किये गये। आर्थिक दृष्टिकोण से उन्होंनें पूंजीवाद को अपना लिया परन्तु राजनीतिक दृष्टिकोण से वे आज भी साम्यवादी है।
- अन्य देश जिन्होने साम्यवाद को अपनाया– क्यूबा, उत्तरी कोरिया, कम्बोडिया, वियतनाम, वेनेजुएला
- भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण था परन्तु अर्थव्यवस्था का झुकाव समाजवाद की ओर अधिक था।

- 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक संकट उत्पन्न हुआ जिसके बाद आर्थिक सुधार लागू किये गये तथा अर्थव्यवस्था का झुकाव पूंजीवाद की ओर हो गया।

मांग और आपूर्ति

- **मांगः**– वस्तु और सेवा की वह मात्रा जो कि कोई उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर एक निश्चित समय के दौरान खरीदने के लिए तैयार होता है।
- **आपूर्तिः** वस्तु और सेवा की वह मात्रा जो कि, कोई उत्पादक या विक्रेता विभिन्न कीमतों पर एक निश्चित समय के दौरान उपलब्ध करवाने के लिए तैयार होते है।

मांग और आपूर्ति के बीच संबंधः–

1. **मांग > आपूर्ति**

   ↓

   कीमते बढ़ेगी

   ↓

   उत्पादक को लाभ→ निवेश अधिक → रोजगार → नियमित आय → जीवन स्तर में सुधार

2. **आपूर्ति > मांग**

   ↓

   कीमतें कम

   ↓

   उत्पादक को हानि→ निवेश नहीं→ रोजगार नहीं→ नियमित आय नहीं → जीवन स्तर में कमी

- यदि यह परिस्थिति कुछ समय के लिए बनी रहती है तब अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है यदि मंदी कुछ महीनों तक के लिए बनी रहे तब अर्थव्यवस्था महामंदी में प्रवेश कर जाती है।
  जैसे– Great Depression - 1929 USA

  मांग का सम्बन्ध धन से होता है जिसे तरलता भी कहा जाता है। तरलता के बढ़ने से मांग बढ़ती है तथा तरलता के कम होने से मांग कम होती है तरलता को कम या ज्यादा करने के लिए RBI के द्वारा मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है।

  आपूर्ति का सम्बन्ध उत्पादन से होता है जिसे सदैव बढ़ाने का प्रयास किया जाता है।
- तरलता को बढ़ाने व कम करने के लिए RBI के द्वारा ब्याज दरो को कम या ज्यादा किया जा सकता है।
- मंदी की परिस्थिति में सरकार के द्वारा अपने खर्च को बढ़ा दिया जाता है जिससे कि बाजार में मांग सृजित हो सके इसके लिए राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है।
- **माँग का नियमः–** यह नियम कीमत और मांग के बीच नकारात्मक संम्बन्ध को दर्शाता है तब कीमते बढ़ती है मांग कम होती है जब कीमते कम होती है तब मांग बढ़ती है।

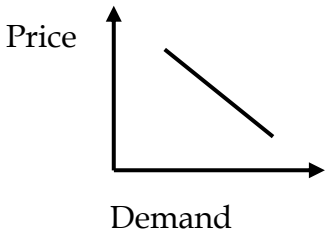

अपवादः–

(i) आवश्यक वस्तुएं। जैसे– नमक, पेट्रोल, डीजल
(ii) जीवन रक्षक दवाएँ।
(iii) वेबलेन वस्तुएं – वे वस्तुएं जो कि सामाजिक प्रतिष्ठा और विलासिता से जुड़ी हुई होती है।
(iv) गिफेन वस्तुएं – ये कम गुणवत्ता की वस्तुएं होती है इनकी मांग और कीमते इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि इनकी प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत अत्यधिक बढ़ गई है।
उदाहरण– कॉफी, चाय
(v) नशीले पदार्थ
(vi) फैशन की वस्तुएं

आपूर्ति का नियम :– यह नियम कीमत और आपूर्ति के बीच सकारात्मक संबंध दर्शाता है अर्थात कीमतों के बढ़ने से आपूर्ति भी बढ़ती है।

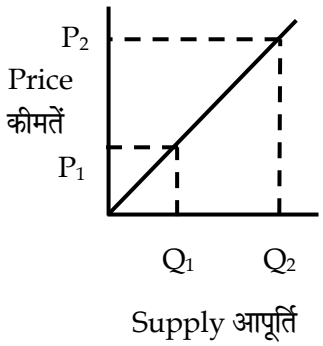

अपवादः–

(i) बाजार में एकाधिकार
(ii) सरकार की नीतियाँ। जैसे– लॉकडाउन
(iii) प्राकृतिक आपदा
(iv) वस्तु की प्रकृति– कुछ वस्तुएं जल्द खराब हो जाती है इनकी माँग वर्षभर बनी रहती है परन्तु आपूर्ति वर्षभर नही की जा सकती।

मूल्य का निर्धारणः– मूल्य वह बिन्दू है जिस पर उपभोक्ता और उत्पादक दोनो सहमत होते है।

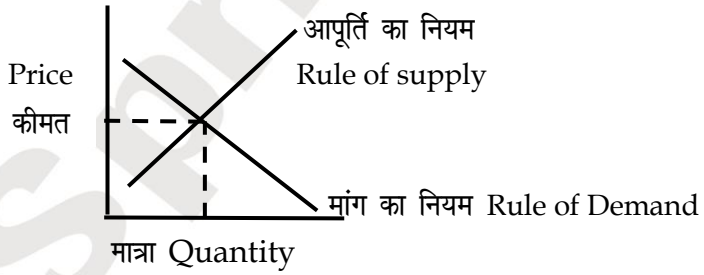

उत्पादक के कारकः– उत्पादन के चार कारक होते है तथा सभी की कुछ लागत होती है।

उत्पादक के कारक/साधन	**साधन लागत**
भूमि (land)	किराया (Rent)
श्रम (labour)	मजदूरी (wages)
पूंजी (capital)	ब्याज (Interest)
उद्यमी (Enterpreneur)	लाभ (Profit)

साधन लागत = किराया + मजदूरी + ब्याज + लाभ
बाजार मूल्य = साधन लागत + अप्रत्यक्ष कर − सब्सिडी

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र :– अर्थव्यवस्था के तीन मुख्य क्षेत्र होते हैं–

(1) प्राथमिक क्षेत्रः– इसमें निम्नलिखित गतिविधियों को रखा जाता है–

(i) कृषि (iii) मछली पकड़ना

(ii) डेयरी (iv) वानिकी

खनन को सामान्यतयाः प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है परन्तु भारत में औद्योगिक उत्पादन की गणना करते समय इसे द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है।

(2) द्वितीयक क्षेत्रः– इसमें निर्माण व विनिर्माण गतिविधियों को रखा जाता है।

जैसे – मोटर वाहन उद्योग

इलेक्ट्रॉनिक उद्योग

वस्त्र उद्योग आदि।

(3) तृतीयक क्षेत्रः– इसमें सेवाओं को रखा जाता है इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है।

सेवाओं को दो अन्य क्षेत्रों में भी बाँटा जाता है–

(i) चतुर्थक क्षेत्रः– इसमें ऐसी सेवाएं रखी जाती है जो कि ज्ञान आधारित होती है
जैसे– मेडिकल सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, कानूनी सेवाएं

(ii) पंचम क्षेत्रः– इसमें वे सेवाएं रखी जाती हैं जो कि निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जैसे– सिविल सेवाएं, राजनैतिक सेवाएं

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तीन चरणों में विकसित होती है–

(A) कृषि आधारित अर्थव्यवस्था

(B) उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था

(C) सेवा आधारित अर्थव्यवस्था

- स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी वर्तमान में यह सेवा आधारित है।
- स्वतंत्रता के समय GDP में कृषि का योगदान लगभग 55% था वर्तमान में यह कम होकर लगभग 18% हो गया परन्तु आज भी 50% जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है।

मुद्रास्फीति (Inflation)

- यह एक परिस्थिति है, जिसमें वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ती है तथा मुद्रा का मूल्य कम होता है इससे मुद्रा की क्रय शक्ति भी कम हो जाती है।
- फिलिप्स वक्र :– यह वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच नकारात्मक संबंध दर्शाता है मुद्रास्फीति के बढ़ने से बेरोजगारी कम होती है यह संबंध एक निश्चित समय तक देखा जाता है।

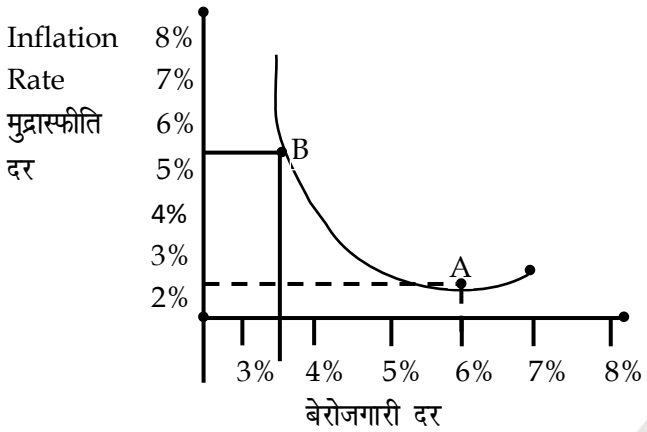

- मुद्रास्फीति की गणना प्रत्येक माह की जाती है परन्तु कीमतो की तुलना उसी माह पिछले साल की कीमतो से की जाती है। जैसे–

	2022	2023	Inflation
Jan	100	110	10%
Feb	100	108	8%
Mar	100	90	–10%

मुद्रास्फीति के प्रकारः–

(1) **लक्षित मुद्रास्फीति** – प्रत्येक देश के द्वारा अपने विकासात्मक आवश्यकताओ के आधार पर मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, जिसे लक्षित मुद्रास्फीति कहा जाता है।

- विकसित देशो के लिए यह (1%–2%) है और विकासशील देशो के लिए 4% ±2% है। इस मुद्रास्फीति को **ग्रोथ फ्लेशन** भी कहा जाता है।

(2) **रेंगती मुद्रास्फीति :–** जब मुद्रास्फीति की दर 3% से कम होती है यह मुद्रास्फीति विकसित देशो के लिए सकारात्मक है परन्तु विकासशील देशो के लिए अच्छी नहीं है।

(3.) **चलती मुद्रास्फीति :–** जब मुद्रास्फीति की दर 3%- 6% के बीच होती है यह मुद्रास्फीति विकसित देशो के लिए नकारात्मक है परन्तु विकासशील देशो के लिए सकारात्मक है।

(4) **दौड़ती मुद्रास्फीतिः–** जब मुद्रास्फीति की दर 6%-10% के बीच होती है यह मुद्रास्फीति विकसित और विकासशील दोनो देशो के लिए चिंताजनक है।

(5) **गेलोपिंग मुद्रास्फीति :–** जब मुद्रास्फीति की दर 10% से अधिक होती है यह मुद्रास्फीति अत्यधिक चिंताजनक है इसे नियंत्रित करने के लिए अप्रत्याशित उपाय अपनाये जाते है।

(6) **हाइपर मुद्रास्फीति :–** जब मुद्रास्फीति की दर 50% से भी अधिक हो जाती है यह मुद्रास्फीति का सबसे खतरनाक स्वरूप है इसमें मुद्रा व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाती है।

(7.) **विस्फीतिः–** जब मुद्रास्फीति की दर कम होने लगती है यद्यपि कीमते अभी भी अधिक होती है।

(8) **अवस्फीतिः–** जब मुद्रास्फीति की दर नकारात्मक हो जाती है अर्थात वस्तु और सेवाओं की कीमतें कम हो जाती है इससे उत्पादको को नुकसान होता है जिससे उत्पादन कम हो जाता है तथा अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाती है यदि यह स्थिति कुछ समय के लिए बनी रहे तब अर्थव्यवस्था महामंदी में चली जाती है।

(9) **स्टेगफ्लेशन :–** यह एक विशेष परिस्थिति है जिसमें GDP कम होती है बेरोजगारी बढ़ती है परन्तु फिर भी मुद्रास्फीति अधिक होती है।

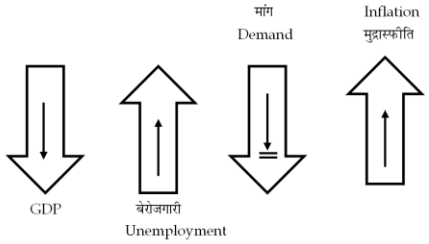

यह केन्द्रीय बैंक के लिए दुविधा की स्थिति है क्योंकि यदि ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है तब GDP में ओर अधिक कमी होगी और यदि ब्याज दरो को कम किया जाता है तब मुद्रास्फीति बढ़ेगी।

(10) **लागत जनित मुद्रास्फीति :–** यह मुद्रास्फीति लागत बढ़ने के कारण उत्पन्न होती है लागत निम्नलिखित कारणो से बढ़ सकती है–

- कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि।
- कच्चे माल की उपलब्धता में कमी। – प्राकृतिक आपदा
- परिवहन की लागत में वृद्धि।
  जैसे– अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि।
- किराये में वृद्धि।
- मजदूरी की दरो में वृद्धि।
- ब्याज दरो में वृद्धि।
- उद्यमी के लाभ में वृद्धि।
- अप्रत्यक्ष करो में वृद्धि।
- सब्सिडी में कमी।

(11) **माँग जनित मुद्रास्फीतिः–** यह मुद्रास्फीति माँग में वृद्धि के कारण होती है। माँग में वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हो सकती है–

- बाजार में तरलता में वृद्धि – ब्याज दरों में कमी, नई मुद्रा का सृजन
- जनसंख्या में वृद्धि।
- आय के स्तर में वृद्धि।
- सरकारी खर्च में वृद्धि।
- सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष करो में कमी
- बाजार में काला धन
- विदेशी निवेश में वृद्धि।

(12) **कोर मुद्रास्फीतिः–** यह मुद्रास्फीति का वह भाग है जो कि RBI के नियंत्रण में होता है।

कोर मुद्रास्फीति = मुद्रास्फीति – अन्य कारक

अन्य कारक – अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमते।

प्राकृतिक घटनाएं।

परिवहन में बाधा।

प्रचलित रूप से –

कोर मुद्रास्फीति = हेडलाइन मुद्रास्फीति– खाद्य पदार्थ एवं ईंधन

(13) **तिरछी मुद्रास्फीतिः–** जब वस्तुओं की कीमतें अत्यधिक बढ़ जाती है तथा अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती है तो ऐसी मुद्रास्फीति को तिरछी मुद्रास्फीति कहते है। जैसे– प्रोटीन मुद्रास्फीति (प्रोटीन उत्पादों की कीमतों में वृद्धि)

(14) **शृंक मुद्रास्फीतिः–** जब कीमते स्थिर रहती है परन्तु उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा में कमी कर दी जाती है।

(15) **Bottleneck Inflation :–** जब आपूर्ति में बाधाओं के कारण कीमतें बढ़ती है।

(16) **Imported Inflation: –** जब आयात किये जाने वाले कीमतों में वृद्धि की जाती है।

मुद्रास्फीति की गणनाः– मुद्रास्फीति की गणना दो दृष्टिकोणो से की जा सकती है–

(i) थोक मूल्य सूचकांक (wholesale price Index- WPI) –
(ii) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (consumer price Index - CPI)

WPI	CPI
• वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित • आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी • WPI के चार प्रकार होते हैं– (i) WPI प्राथमिक वस्तुएं = 117 (ii) WPI ईंधन और ऊर्जा = 16 (iii) WPI विनिर्मित वस्तुएं = 564 (iv) WPI मुख्य = 697 • पूरे भारत के लिए ही WPI की गणना की जाती है क्षेत्रीय WPI की गणना नहीं की जाती है। • केवल वस्तुएं शामिल है। • खाद्य पदार्थों का भारांश बहुत कम है (लगभग = 20%) • आधार वर्ष =2011–12 • प्रत्येक माह के 14 वें दिन जारी किया जाता है। • 2014 तक यह मुख्य सूचकांक था।	• सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। • राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी। • CPI के तीन प्रकार होते हैं– (i) CPI ग्रामीण (ii) CPI शहरी (iii) CPI (ग्रामीण + शहरी) • CPI देश के साथ राज्यों और U.T. के लिए भी जारी किया जाता है अर्थात क्षेत्रीय CPI जारी किया जाता है। • वस्तु और सेवाएं दोनो शामिल है। • खाद्य पदार्थों का भारांश अधिक है (लगभग = 45%) • आधार वर्ष = 2012 • प्रत्येक माह के 12 वें दिन जारी किया जाता है। • 2014 से यह मुख्य सूचकांक है। (उर्जित पटेल समिति)

- राज्य सरकार के द्वारा अलग से WPI जारी किया जाता है राजस्थान में इसका आधार वर्ष 1999–2000 है।
- एक अन्य CPI मजदूरों की दृष्टिकोण से भी जारी की जाती है।

CPI

ग्रामीण (आधार वर्ष 1986–87) — CPI- कृषि मजदूर, CPI- ग्रामीण मजदूर

शहरी (आधार वर्ष 2016–17) ↓ औद्योगिक कामगार

उत्पादक मूल्य सूचकांक :– इसका प्रयोग यूरोपीय देशो में किया जाता है इसमें उत्पादक के दृष्टिकोण से कीमतों में वृद्धि की गणना की जाती है इसमें वस्तु और सेवा दोनो को शामिल किया जाता है।

आधार प्रभाव :– मुद्रास्फीति की गणना पर पिछले वर्ष की कीमतों का प्रभाव देखा जाता है, जिसे आधार प्रभाव कहा जाता है। यदि पिछले वर्ष कीमते अधिक थी तो वर्तमान वर्ष में कम मुद्रास्फीति देखी जायेगी तथा यदि पिछले वर्ष कीमतें कम थी तो वर्तमान वर्ष में अधिक मुद्रास्फीति देखी जायेगी।

मुद्रास्फीति के प्रभाव :–

- इससे मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी होती है।
- इससे बचतकर्ताओ को नुकसान होता है।
- ऋण देने वाले को नुकसान होता हैं और ऋण लेने वाले को लाभ होता है
  प्रभावी ब्याज दर = ब्याज दर – मुद्रास्फीति
- इसमें कालाबाजारी बढ़ती है।
- इसका सबसे नकारात्मक प्रभाव गरीब परिवार पर पड़ता है।
- सरकारी खर्च में वृद्धि हो जाती है जिसके कारण राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है।

मुद्रास्फीति को नियन्त्रण करने के उपायः–

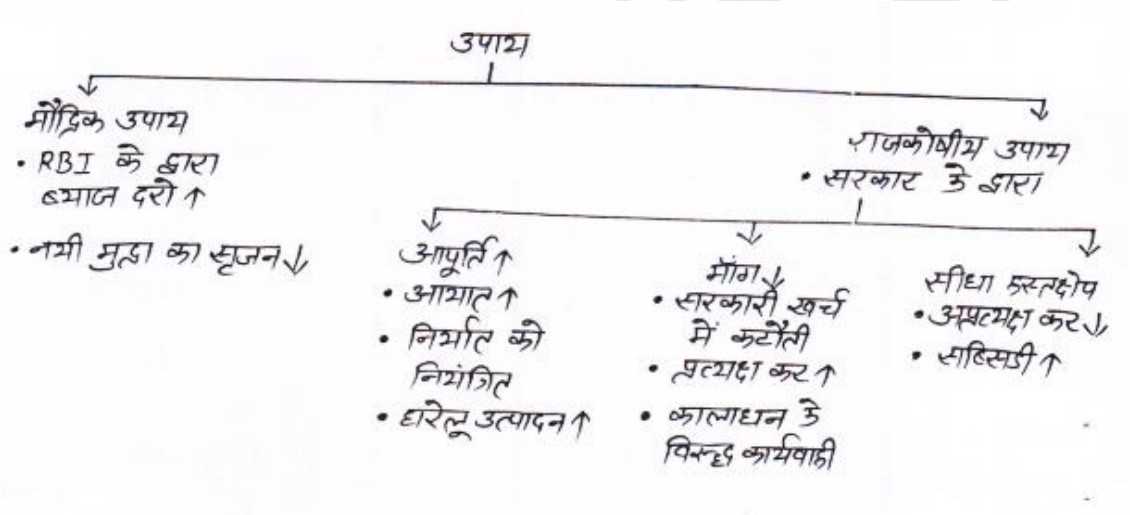

वित्त बाजार (Finance Market)

यह एक ऐसा बाजार जहाँ धन का लेन देन किया जाता है, कंपनियाँ यहाँ पूँजी की व्यवस्था करने के लिए आती है तथा निवेशक यहाँ निवेश करने के लिए आते हैं पूंजी की व्यवस्था दो प्रकार से की जा सकती है– (1) ऋण के माध्यम से (2) हिस्सेदारी बेचकर

निवेश दो प्रकार से किया जा सकता है– (1) ऋण देकर– इसके बदले निवेशक को ब्याज मिलता है।

(2) हिस्सेदारी खरीदकर – इसके बदले निवेशक को लाभ में हिस्सा मिलता है।

कंपनी :– यह एक व्यवसायिक संस्था होती है जिसकी स्थापना व्यवसायिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए की जाती है।

लिमिटेड कंपनीः– वह कंपनी जिसमें ऋणदाता के अधिकार सीमित है अर्थात् ऋण की वसूली कंपनी की सम्पत्ति से की जा सकती है परन्तु मालिक की सम्पति से नहीं की जा सकती मुख्यतयाः ये कंपनियाँ तीन प्रकार की होती है–

(1) One person company – इसमें केवल एक व्यक्ति मालिक हो सकता है।

(2) Private limited company – इसमें अधिकतम 200 व्यक्ति मालिक हो सकते हैं परन्तु कंपनी के शेयर, शेयर बाजार में नहीं बेचे जा सकते।

(3) Public limited company – इसमें न्यूनतम 7 व्यक्ति मालिक हो सकते हैं तथा अधिकत्तम की कोई सीमा नहीं है। कंपनी के शेयर, शेयर बाजार में बेचे जा सकते हैं।

- इस कंपनी की स्थापना 'कंपनी अधिनियम 2013' के तहत की जाती है।

प्रतिभूति (Security) :– वित्त बाजार में जब धन का लेन–देन किया जाता है कंपनी के द्वारा प्रतिभूति जारी की जाती है तथा निवेशक के द्वारा प्रतिभूति खरीदी जाती है।

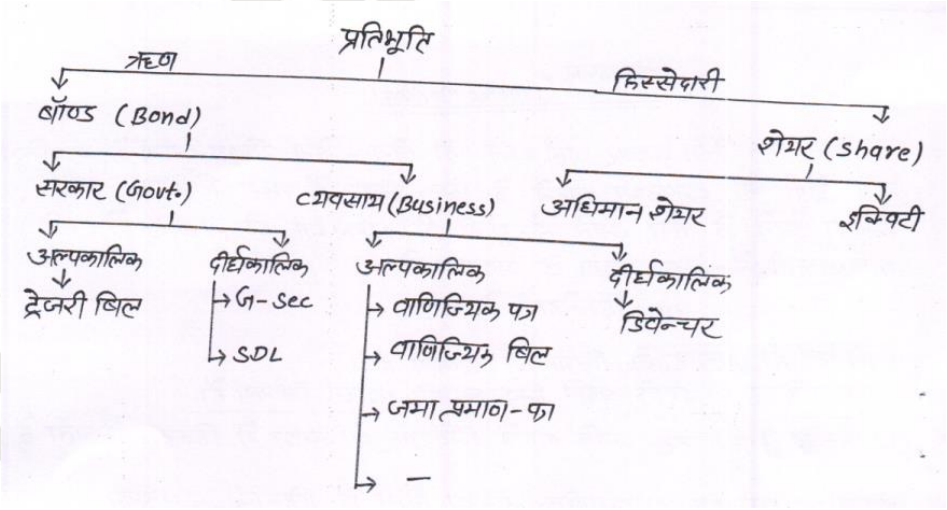

बॉण्ड (Bond) :– यह एक ऋण प्रतिभूति होती है इसे निश्चित समय के लिए जारी किया जाता है जिसे परिपक्वता अवधि कहा जाता है।

- बॉण्ड पर दिये जाने वाले ब्याज को कूपन दर कहा जाता है।
- बॉण्ड सरकार या व्यवसाय के द्वारा जारी किये जा सकते हैं

- यदि परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से कम है, तब उसे अल्पकालीन बॉण्ड कहा जाता है यदि परिपक्वता अवधि .एक वर्ष से अधिक है, तब उसे दीर्घकालिक बॉण्ड कहा जाता है।
- बॉण्ड की खरीद और बिक्री की जा सकती है।
- इस पर कमाये गये लाभ को यील्ड (Yield) या प्रतिफल भी कहा जाता है।

सरकारी बॉण्ड :–

(1.) ट्रेजरी बिल – यह सरकार के द्वारा जारी की गयी अल्पकालिक ऋण प्रतिभूति है यह तीन प्रकार की होती है–

(i) T–91 परिपक्वता अवधि 91 दिन

(ii) T–182 परिपक्वता अवधि 182 दिन

(iii) T–364 परिपक्वता अवधि 364 दिन

- यह सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है राज्य सरकार इसे जारी नही कर सकती।

❖ ट्रेजरी बिल डिस्काउन्ट पर जारी किये जाते हैं।

(2.) Cash management Bill :– जब सरकार के द्वारा ऋण 91 दिन से कम अवधि के लिए लिया जाता है।

(3.) G-Sec :– यह दीर्घकालिक ऋण प्रतिभूति है इसे Gilt edge Security भी कहा जाता है क्योंकि यह सबसे अधिक विश्वसनीय है।

बॉण्ड की विश्वसनीयता क्रेडिट रेटिंग के माध्यम से निर्धारित की जाती है जिसे क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियो के द्वारा जारी की जाती है।

जैसे :– Fitch
Standard and Poor's (S&P)
Moody
ICRA – India's Agencies
CRISIL

वे बॉण्ड जिनकी विश्वसनीयता सबसे कम होती है जंक बॉण्ड कहलाते है।

(4.) SDL (state Development loan):- यह राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी दीर्घकालीक ऋण प्रतिभूति होती है।

Sovereign Gold Bond – इसे सरकार के द्वारा दीर्घकाल के लिए जारी किया जाता है, इसकी कीमत गोल्ड की कीमत से जुड़ी हुई होती है इस पर सरकार के द्वारा 2.5% का अतिरिक्त ब्याज भी दिया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य देश में स्वर्ण आयात को कम करना है।

- सरकारी बॉण्ड की खरीद और बिक्री RBI के द्वारा की जाती है हाल ही में RBI के द्वारा RBI Retail Direct प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है जिसमें Retail Invester (व्यक्तिगत) सरकारी प्रतिभूतियो में निवेश कर सकता है।

Green Bonds – हाल ही में ये बॉण्ड जारी किये गये इनसे प्राप्त धन का प्रयोग ऐसी परियोजनाओं में किया जाता है जो कि पर्यावरण के लिए सकारात्मक है।

जैसे– नवीनीकरण ऊर्जा

कॉरपोरेट बॉण्ड (Corporate Bond)

(1.) अल्पकालिक बॉण्ड :–

(i) वाणिज्यिक पत्र (commercial paper)– जब किसी व्यवसायिक संस्था के द्वारा अल्पकाल के लिए ऋण लिया जाता है तब वाणिज्यिक पत्र जारी किया जाता है।

(ii) वाणिज्यिक बिल (commercial Bill) – यह कंपनी के द्वारा खरीदी गई वस्तु या सेवा के विरुद्ध जारी किया जाता है।

(iii) जमा प्रमाण–पत्र (certificate of Deposit) – यह बैंक के द्वारा जारी किया जाता है जब वे किसी व्यवसायिक संस्था से अल्पकालिक ऋण लेते है।

(2.) दीर्घकालिक बॉण्ड :–

(i) डिबेन्चर :– यह व्यवसायो के द्वारा जारी की गयी दीर्घकालिक ऋण प्रतिभूति है।

- यह दो प्रकार का होता है–

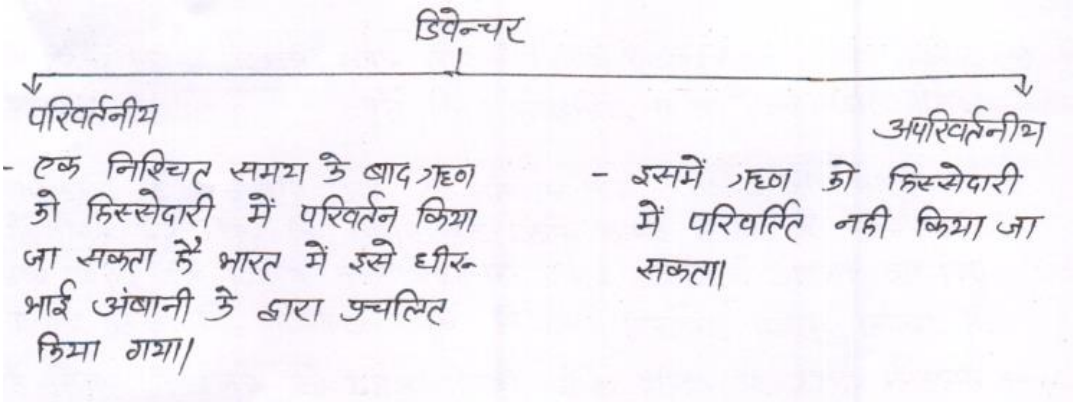

अन्य बॉण्डः–

1. Zero coupon Bond :- वे बॉण्ड जो डिस्काउंट में जारी किये जाते हैं।
2. मसाला बॉण्ड :– ये बॉण्ड विदेशो में जारी किये जाते है ये डॉलर के बजाय रुपये में जारी किये जाते है।
3. हुण्डीः– इसका प्रयोग स्वतंत्रता से पूर्व किया जाता था यह सर्राफ नामक व्यापारी के द्वारा जारी की जाती थी इसका प्रयोग धन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किया जाता था।

शेयर (share) :– इसमें निवेशक कंपनी में हिस्सेदार बन जाता है, निवेशक को लाभ में हिस्सा दिया जाता है, जिसे लाभांश कहा जाता है।

- ये दो प्रकार के होते है– (1) अधिमान शेयर

(2) इक्विटी

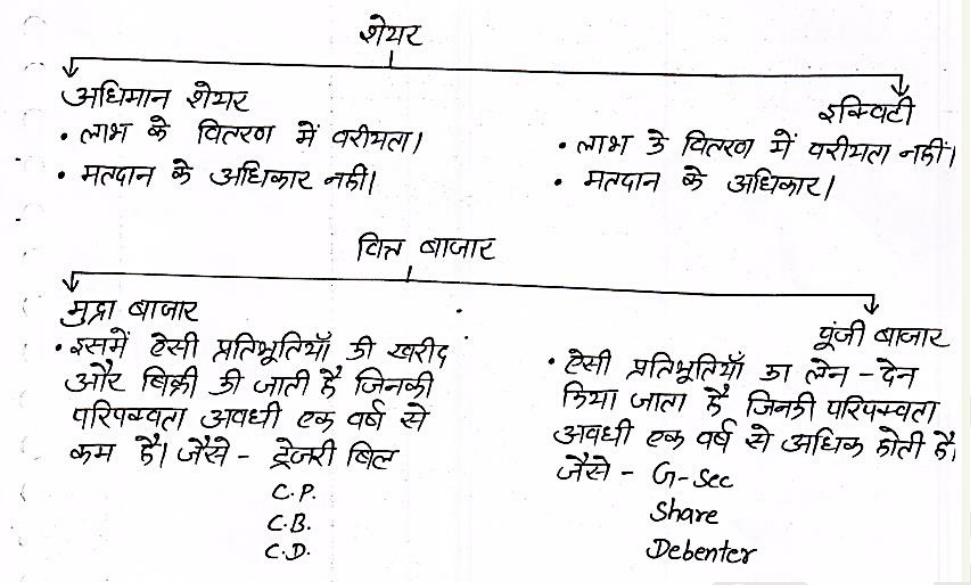

1. **प्राथमिक बाजार** :– इसमें नई प्रतिभूतियां जारी की जाती है जिसके लिए IPO, FPO, Right issue आदि का प्रयोग किया जाता है।
   - इसका ना तो कोई नाम होता है और ना कोई स्थान।
2. **द्वितीयक बाजार** :– इसमें ऐसी प्रतिभूतियों का लेन–देन किया जाता है जो कि पहले से ही प्राथमिक बाजार में जारी हो चुकी है।
   - भारत में वित्त बाजार–

     (i) BSE (Bombay stock exchange)

     (ii) NSE (National stock exchange)

     इनके अतिरिक्त क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज भी है परन्तु प्रचलित नहीं है।

     जैसे– कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज

     जयपुर स्टॉक एक्सचेंज

प्राथमिक बाजार से जुड़ी मुख्य अवधारणाये :–

1. IPO (Initial public offering) :– जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर सामान्य निवेशक के लिए जारी करती है तब इस प्रक्रिया को IPO कहा जाता है।

   ⇒ IPO के लिए SEBI की अनुमति आवश्यक होती है।

2. FPO (Follow on public offering):– IPO जारी करने के कुछ समय बाद यदि कंपनी कुछ अतिरिक्त शेयर जारी करती है तब इस प्रक्रिया को FPO कहा जाता है।
3. Right issue: - जहा कंपनी शेयर बाजार में पुरानी हो जाती है तब़ वह कुछ अतिरिक्त शेयर जारी कर सकती है ये शेयर पहले से मौजूद शेयर धारकों को ही उपलब्ध होते है इस प्रक्रिया को Right issue कहते हैं।
4. Buy Back :- जब कम्पनी शेयर बाजार से शेयर पुनः खरीद लेती है।
5. अधिगोपन (underwriting) :– जब भी कंपनी IPO लेकर आती है तब एक वित्तीय संस्थान से IPO को Underwrite करवाया जाता है वित्तीय संस्था कंपनी को यह गारंटी देती है कि उसके सभी शेयर बाजार में बिक जाएंगे यदि ऐसा नही होता है तब बचे हुए शेयर Underwriter के द्वारा खरीदे जाएंगे।

(6) Book Building :– जब कंपनी IPO लेकर आती है तब शेयर की न्यूनतम और अधिकतम कीमत निर्धारित की जाती है इसके लिए एक सर्वे करवाया जाता है शेयर का आवंटन एक लॉटरी के माध्यम से किया जाता है, इस प्रक्रिया को Book Building कहा जाता है।

(7.) शेयर केपिटल :– वह पूंजी जो कि शेयर जारी करने से कम्पनी को प्राप्त होती है, शेयर केपिटल कहलाती है।

शेयर केपिटल के प्रकार :–

(i) Authorized capital :– वह पूंजी जितने के शेयर जारी करने की अनुमति दी गई है।

(ii) Issued capital :– वह पूंजी जितने के शेयर जारी किये गये है।

(iii) Subscribed capital :– वह पूंजी जितने के आवेदन कम्पनी को प्राप्त हुए हैं।

(iv) Paid up capital :– वह पूंजी,जिसका भुगतान अंतिम रूप से कंपनी को किया गया है।

द्वितीयक बाजार :–

(1.) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज:– स्थापना 1875

- यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है।
- यह बाजार पूंजी और टर्नऑवर के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है।

  बाजार पूंजी = No. of shares × Price of one share

- यह Retail Investor के बीच अधिक प्रचलित है इसलिए इसमें लेन–देन की संख्या अधिक है।
- इसका मुख्य सूचकांक 'सेंसक्स' है, जो कि BSE में सूचीबद्ध 30 बड़ी कम्पनियो की शेयर कीमतो के औसत उतार– चढ़ाव को दर्शाता है। इसकी शुरुआत 1986 में की गई थी।

अन्य सूचकांक –

BSE 100 – इसमें 100 कम्पनियाँ शामिल है।

BSE 200 – इसमें 200 कम्पनियाँ शामिल है।

(2.) NSE (National Stock Exchange) :–
स्थापना – 1992 (फेरवानी समिति की सिफारिश पर)
मुख्यालय– मुम्बई

- यह बाजार पूंजी और टर्न ऑवर के आधार पर भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है।
- यह संस्थागत निवशको के बीच अधिक प्रचलित है
- भारत में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरूआत इसके द्वारा की गई।
- इसका प्रमुख सूचकांक ' NIFTY (NSE + FIFTY)' है।
- यह NSE में सूचीबद्ध 50 बड़ी कंपनियाँ के शेयर कीमतो की औसत उतार–चढ़ाव को दर्शाता है।

अन्य सूचकांक – Junior NIFTY (NIFTY NEXT FIFTY) – 51–100 बड़ी कंपनियाँ

Bank NIFTY – इसमें 12 बड़े बैंक शामिल है।

अन्य तथ्य – दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ का मुख्य सूचकांक Dow Jones है।

न्यूयॉर्क में स्थित एक अन्य स्टॉक एक्सचेंज NASDAQ है इसमें IT कंपनियाँ मुख्य रूप से सूचीबद्ध है और भारत की INFOSYS पहली कंपनी थी जो कि NASDAQ में सूचीबद्ध है।

दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज नीदरलैण्ड में खोला गया इसका नाम Amesterdem stock Exchange था।

निवेशक :– शेयर बाजार में दो प्रकार के निवेशक होते हैं–

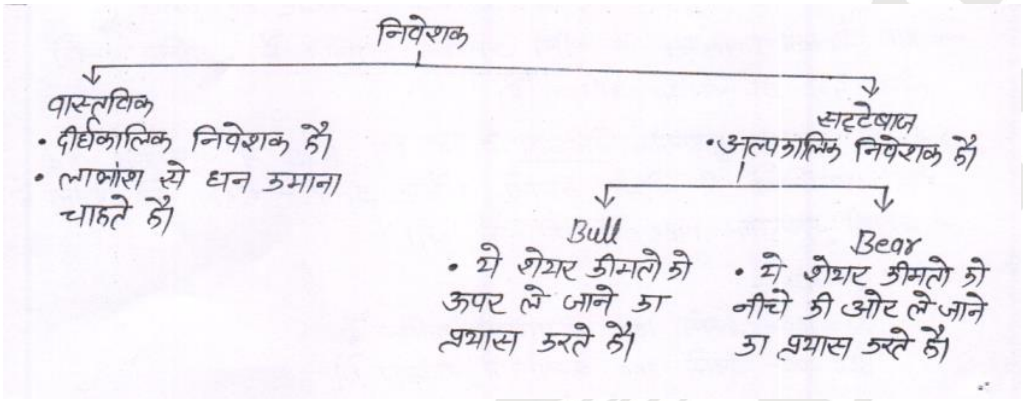

Note – स्टैग (stag) :– ये प्राथमिक बाजार के निवेशक होते हैं IPO में निवेश करते हैं।

ट्रेडिग (Trading):- शेयर बाजार में शेयर की खरीद और बिक्री ट्रेडिंग कहलाती है।

ट्रेडिग दो प्रकार की होती है–

(1) स्पॉट ट्रेडिंग (Spot tranding): जिस समय सौदा किया जाता उसी समय में इसे पूरा भी किया जाता है इस पर T+1 का नियम कार्य करता है।

(2) Future Trading :– ये भविष्य के सौदे होते हैं जिन्हें एक निश्चित तारीख पर पूरा किया जाता है इसके लिए खरीददार को टोकन राशि जमा करनी होती है।

Future option – खरीददार को यह विकल्प दिया जाता है कि वह सौदे को रद्द भी कर सकता है परन्तु टोकन राशि नही लौटायी जाती।

Short selling :- Short Seller के पास शुरुआत में कोई शेयर नहीं होते है वह Broker से शेयर उधार ले लेता है तथा उन्हें शेयर बाजार में बेचता है जिसके कारण शेयर की आपूर्ति बढ़ जाती है तथा कीमते गिरने लगती है कम कीमतो पर पुनः शेयर खरीद लिये जाते है तथा Broker को लौटा दिये जाते हैं।

आर्बिट्रेज (Arbitrage):– एक ही कंपनी के शेयर अलग–अलग शेयर बाजार में खरीदे और बेचे जा सकते है जिस बाजार में कीमतें कम होती है वहाँ से शेयर खरीदे जाते है तथा जिस बाजार में कीमतें अधिक होती है उस में बेच दिये जाते है इस प्रक्रिया को आर्बिट्रेज कहते है।

Mutual Funds :-

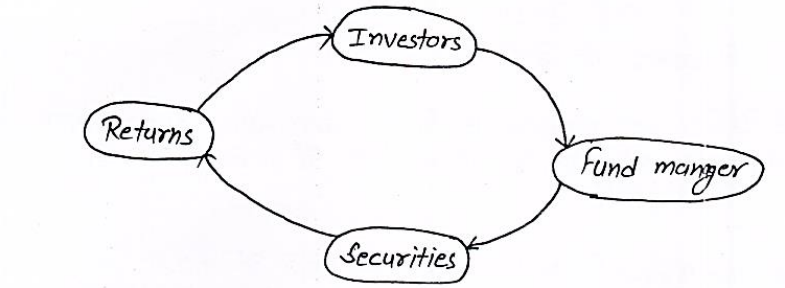

- Mutual Fund छोटे निवेशको तथा शेयर बाजार के बीच मध्यस्थ का कार्य करते है इन्हें fund manager के द्वारा संचालित किया जाता है जो कि बाजारों के विशेषज्ञ होते है ये अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग करते हुए प्रतिभूतियो में निवेश करते है तथा लाभ कमाकर निवेशक को देते है इसके बदले में निवेशक से फीस वसूलते है निवेशक को यूनिट आवंटित की जाती है।
- भारत का पहला Mutual Fund – UTI (unit trust of India) 1964 में स्थापित।

- **Venture capital fund :–** इसमें संस्थागत निवेशको के द्वारा निवेश किया जाता है ये जोखिम भरे क्षेत्रो में निवेश करते हैं।
  जैसे– स्टार्टअपस् – इन्हे फण्ड मैनेजर के द्वारा संचालित किया जाता है, जो कि बाजार के विशेषज्ञ होते है ये लाभ की रणनीति सुनिश्चित करने के बाद ही निवेश करते है।
- **हैज फण्ड** :– ये व्यक्तिगत निवेशक होते है जो कि जोखिम भरे क्षेत्रो में निवेश करते है इन्हे short selling, Arbitrage आदि की अनुमति होती है।

Participatory Notes (P- Notes):– ये विदेशी संस्थागत निवेशक के द्वारा भारतीय शेयर बाजार में खरीदे गये शेयर के विरुद्ध जारी किया जाता है विदेशी निवेशक इसे खरीद सकते है उन्हें भारत में पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नही है इनका मूल्य शेयर की कीमतो से जुड़ा हुआ होता है कुछ समय पहले थे अत्यधिक चर्चा में थे क्योकि ऐसा माना जा रहा था कि P-Notes के माध्यम से भारतीय शेयर बाजार में काला धन या आपराधिक धन निवेश किया जा रहा है वर्तमान में SEBI ने अपने नियमो को कठोर कर दिया है।

विभौतिकीकरण (Dematerialization):– पहले प्रतिभूतियाँ भौतिक रूप से जारी की जाती थी परन्तु वर्तमान में इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाता है इस प्रक्रिया को विभौतिकीकरण कहा जाता है।

- शेयर बाजार में प्रतिभूतियो का संग्रहण करने के लिए Demat खाता खुलवाया जाता है यह खाता डिपॉजिटरी संस्था के द्वारा प्रबंध किया जाता है।
- भारत में दो मुख्य डिपॉजटरी संस्थाएं है–

(1) NSDL (National Securities Depository Ltd) –
स्थापना – 1996
संस्थापक – NSE

(2) CDSL (central Depository Service Ltd)–
स्थापना – 1998
संस्थापक – BSE

ADR (American Depository Receipt) :– यदि कोई अमेरिकी नागरिक/निवेशक, किसी विदेशी कंपनी के शेयर अमेरिकी शेयर बाजार से खरीदना चाहता है तब उस कंपनी के ADR खरीदे जा सकते हैं। ADR की कीमत शेयर की कीमतों से जुड़ी हुई होती है।

GDR (Global Depository Receipt) :– यदि कोई यूरोपीय नागरिक/निवेशक, किसी विदेशी कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है तब उस कंपनी के GDR खरीद सकता है।

IDR (Indian Depository Receipt) :– यदि कोई भारतीय नागरिक/निवेशक, किसी विदेशी कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है तब उस कंपनी के IDR खरीद सकता है। भारतीय शेयर बाजार में IDR की खरीद व बिक्री की जाती है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI - Securities and Exchange Board of India):-

स्थापना – 1998

Headquater - Mumbai

- 1992 में SEBI अधिनियम पारित किया गया था।

SEBI के कार्य–

- यह पूंजी बाजार की नियामक संस्था है भारत में पूंजी बाजार को विकसित करना इसकी मुख्य जिम्मेदारी है।
- पूंजी बाजार में कार्य करने वाली सभी संस्थाओं का पंजीकरण SEBI के द्वारा किया जाता है।
- Insider trading को रोकना।
- (यदि कंपनी के अन्दर का ही कोई व्यक्ति शेयर की खरीद और बिक्री करता है, तो इसे Insider trading कहा जाता है।)

मौद्रिक नीति

BANKING :

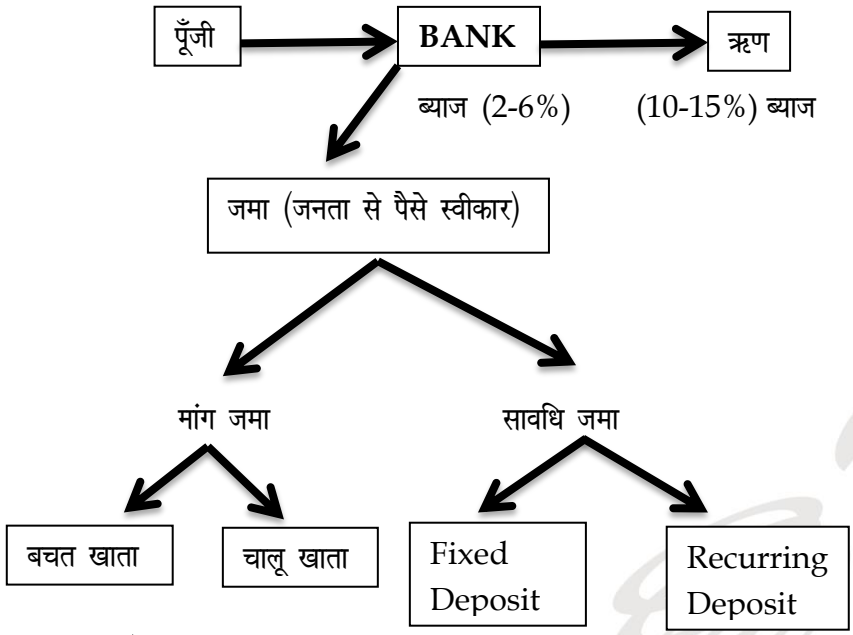

बैंक में जमाएँ दो प्रकार की जाती है-

1. मांग जमा :- इसके तहत दो प्रकार के खाते खोले जाते है।
   A. Saving Account (बचत खाता) :- इसका प्रयोग सामान्य व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है इसमें कभी-कभी जमा करवाया जाता है कभी-कभी धन निकाला जाता है। इस पर बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है।
   B. Current Account (चालू खाता) :- ये सामान्यतः व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा खुलवाया जाता है। इसमें कितने भी लेन-देन किए जा सकते है इस पर ब्याज नहीं दिया जाता है।
2. Time Deposit (सावधि जमा) :- इसमें दो प्रकार के खाते होते है:- i. FD ii. RD
   1. FD (Fixed Deposit) :- इसमें एक निश्चित समय के लिए धन जमा करवाया जाता है। इस पर बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है।
   2. RD (Recurring Deposit) आवृर्ती जमाः-

- इसमें एक निश्चित समय के बाद ही धन निकाला जा सकता है। परन्तु बार-बार धन जमा करवाया जा सकता।

भारत में बैंकिंग का संक्षिप्त इतिहासः-

- भारत में औपचारिक रूप से बैंकिंग की शुरूआत अंग्रेजों के द्वारा की गई।
- 1770 में 'बैंक ऑफ हिन्दुस्तान' की स्थापना की गई जो कि भारत का पहला बैंक था।
- 1881 ई. में 'अवध वाणिज्यिक बैंक' की स्थापना की गई जो की भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था।
- 1894 ई. में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई जो कि भारतीयों द्वारा संचालित पहला स्वदेशी बैंक था।
- ब्रिटिश काल में तीन प्रेसीडेन्सी बैंक की स्थापना की गई।

SBI का इतिहास

1806 - Bank of Bangal
1840 – Bank of Bombay
1843 – Bank of Madras

- 1921 में इन बैंको का विलय कर दिया तथा 'इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया' की स्थापना की गई।

- 1955 में- Imperial Bank of India का आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा नाम बदलकर State Bank of India कर दिया गया। इसके लिए SBI Act पारित किया गया। इसका स्वामित्व RBI के पास था।
- 2007 में इसका स्वामित्व भारत सरकार को दे दिया।
- 1959 में 8 रियासती बैंकों को SBI का सहायक बैंक बनाया गया।
- State Bank of Bikaner/State Bank of Jaipur:- 1963 में SBBJ का गठन
- State Bank of Patiala
- State Bank of Saurasthra -2008 में SBI (Merge)
- State Bank of Indore – 2010 में SBI merge
- State Bank of Hyderabad
- State Bank of Mysore
- State Bank of त्रावणकोर
- 2017 में 5 सहायक बैंको का विलय SBI में कर दिया गया। (SBBJ, पटियाला, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर)
- SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है।
- 1 April 1935 को Reserve Bank of India की स्थापना की गई जो कि भारत की केन्द्रीय बैंक है और इसके लिए RBI Act-1934 पारित किया गया ।

भारत में बैंकिंग की संरचना :-

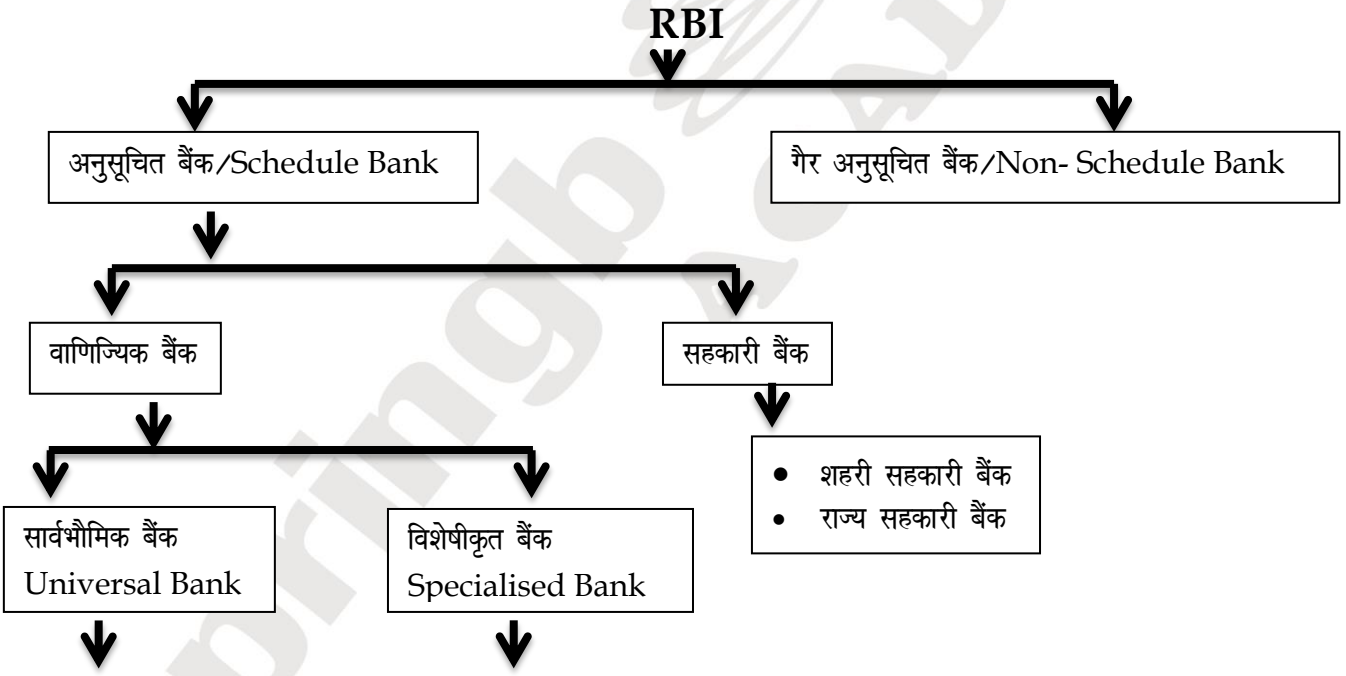

1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
2. निजी बैंक
3. विदेशी बैंक

1. Regional Rural Bank / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
2. Small Finance Bank /लघु वित्त बैंक
3. Payment Bank/ भुगतान बैंक
4. Local Area Bank

अनुसूचित बैंक :- वे बैंक जिनका उल्लेख RBI अधिनियम- 1934 की दूसरी अनुसूची में किया गया।

- इनकों दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है:-
  1. वाणिज्यिक बैंक
  2. सहकारी बैंक

वाणिज्यिक बैंक

ये बैंक वाणिज्यिक हितों के लिए कार्य करते है अर्थात् इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। इन्हें दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 1. सार्वभौमिक बैंक 2. विशेषीकृत बैंक

सार्वभौमिक बैंक :- ये सभी प्रकार की बैंकिंग सेवा/सुविधाएँ उपलब्ध करवाते है। जैसे:- जमाएँ स्वीकार करना, ऋण देना, भुगतान सेवाएँ, लॉकर सेवाएँ।

इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता हैं :-

A. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (Public Sector Bank)

- वे बैंक जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक होती है।
- वर्तमान में इनकी संख्या 12 है- (SBI-1, राष्ट्रीयकृत बैंक- 11)
- 1969 ई. में 14 बड़े बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया। जिसकी पूंजी 50Cr. रू. से अधिक थी।
- 1980 ई. में 6 बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया। जिसकी पूंजी 200Cr. रू. से अधिक थी।
- राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य - ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंको की सुविधा उपलब्ध करवाना।
- 1993 ई. में New Bank of India का विलय PNB (Panjab National Bank) में कर दिया गया।
- 2017 में SBI में 5 सहायक बैंको को विलय किया गया। SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है।
- वर्तमान में बैंको का विलय किया जा रहा है-
  - 1993 ई.- New India Bank का विलय PNB में किया।
  - 2017 में भारतीय महिला बैंक (स्थापना 2013) का विलय SBI में किया गया।
  - 2019 ई. - Bank of Baroda में- देना बैंक, विजया बैंक का विलय किया।
  - 2019 ई. -
    i. PNB - Oriental Bank of Commerce (OBC) और United Bank of India
    ii. Canara Bank – सिंडीकेट बैंक
    iii.Union Bank of India - Andra Bank और Corporation Bank
    iv.Indian Bank - Allahabad Bank

B. निजी बैंक (Private Bank)

- इन बैंकों का स्वामित्व निजी क्षेत्र के पास होता है।
- RBI के द्वारा इन्हें लाइसेन्स दिया जाता है।
- 1993 में निजी क्षेत्रों के 10 बैंकों को RBI के द्वारा लाइसेन्स दिए गए।
- 2001 में दूसरी बार 2 बैंकों (Yes Bank + Kotak Bank) को लाइसेंस दिए गए।
- 2015 में तीसरी बार निजी क्षेत्र के बैंको को लाइसेंस दिए गए। (बंधन बैंक + IDFC)
- निजी क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंस देने के लिए बिमल जालान समिति का गठन किया गया।

शर्तें

1. न्यूनतम पूंजी 500Cr.
2. बैंकिंग क्षेत्र का 10 वर्षो का अनुभव
3. 25% शाखाएँ गांवों में खोलना अनिवार्य।

2016 से on tap लाइसेंस व्यवस्था को RBI द्वारा अपना लिया जिसके तहत किसी भी समय लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। वर्तमान में 21 निजी क्षेत्र के बैंक है।

C. विदेशी बैंक :-

- इन बैंकों का स्वामित्व विदेशी संस्था या व्यक्ति के पास होता है।
- इन्हें भारत में कार्य करने के लिए RBI से अनुमति लेनी होती है।

विशेषीकृत बैंक :- इसकी स्थापना किसी विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है।

RRB (Regional Rural Bank) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- स्थापना 2 Oct. 1975 में
- 1976 में RRB अधिनियम पारित किया गया।
- ये एक संयुक्त उपक्रम होते है जिसमें केन्द्र सरकार की 50%, राज्य सरकार की 15% तथा वाणिज्यिक बैंक की 35% हिस्सेदारी होती है।
- इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध करवाना तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
- सिक्किम और गोवा में कोई RRB नहीं खोले गये।

1. **लघु वित्त बैंक**
   - स्थापना- 2015 (उषा थोराट समिति)
   - उद्देश्य -
     i. छोटे व्यवसायों की ऋण आवश्यकता को पूरा करना।
     ii. वित्तीय समावेशन को बढावा देना।
   - शर्ते -
     i. न्यूनतम पूंजी 200 Cr. रू.
     ii. प्रर्वतक का हिस्सा = 40 %
     iii. यह सभी प्रकार की जमाए स्वीकार कर सकते है।
     iv. 50% ऋण 25 लाख रू. से कम राशि के होने चाहिए।
   - वर्तमान में 12 ऐसे बैंक है।
     Ex. AU Small Finance Bank- (PSL का लक्ष्य 75% होता है।)
2. **भुगतान बैंक**
   - स्थापना - 2015 (नचिकेता मोर समिति)
   - उद्देश्य -
     i. भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाना।
     ii. वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
   - शर्ते -
     i. न्यूनतम पूंजी = 100 Cr.
     ii. प्रवर्तक का हिस्सा = 40%
     iii. यह सिर्फ मांग जमाएं स्वीकार कर सकते है। सावधि जमाएं स्वीकार नहीं कर सकते है।
     iv. अधिकतम जमाएं 2 लाख तक स्वीकार की जा सकती है।
     v. यह किसी भी प्रकार का ऋण नहीं दे सकते।
     vi. ये डेबिट कार्ड, जारी कर सकते है। परंतु क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते।
   - वर्तमान में ऐसे 6 बैंक है। जैसे-
     i. Paytm Payment Bank
     ii. India post payment Bank
     iii. Airtel Payment Bank
     iv. Jio Payment Bank
3. **Local Area Bank**
   - स्थापना - 1996 ई. (नरसिम्हन समिति)
   - इनका कार्यक्षेत्र 3 जिलों तक सीमित होना है।
   - यह अनुसूचित व गैर अनुसूचित दोनों प्रकार के हो सकते है।
   - भारत मे कुल ऐसे 4 बैंक खोले गए थे। वर्तमान में इनकी संख्या 3 है।

सहकारी बैंक (Co-operative Bank)

- वे बैंक जो सहकारिता के सिद्धान्त पर कार्य करते है।

सहकारिता का सिद्धान्त

1. एक सब के लिए सब एक के लिए
2. खुली सदस्यता
3. लोकतांत्रिक नियंत्रण
4. पेशेवर प्रबंधन

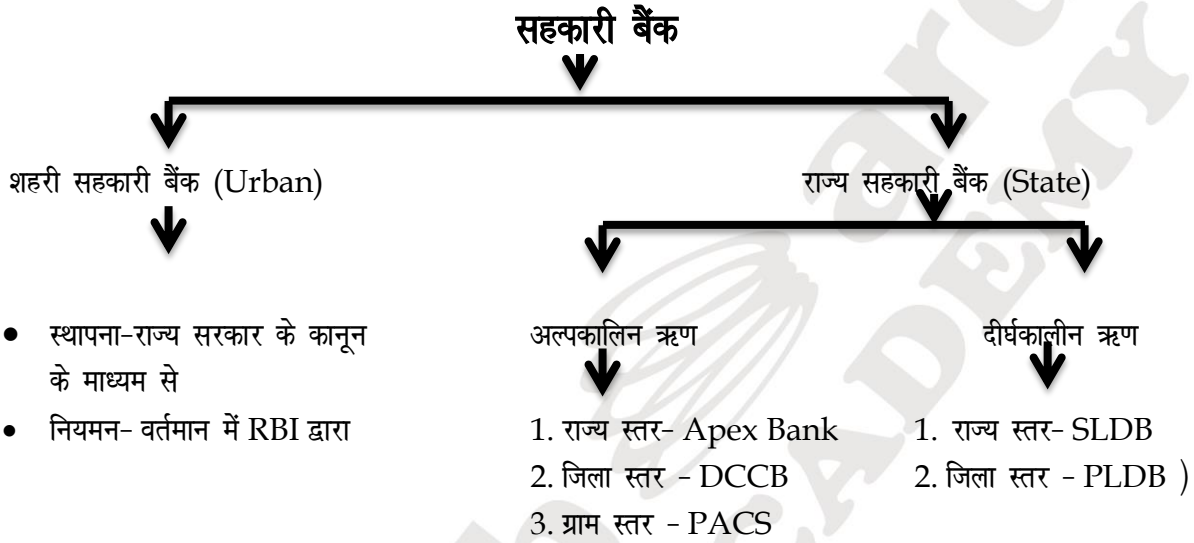

DCCB – District Central Cooprative Bank
PACS – Primary Agriculture credit Society.
SLDB – State Land Development. Bank
PLDB – Primary Land Development Bank

- राज्य सहकारी बैंक की स्थापना राज्य के कानून के माध्यम से की जाती है।
- इसका नियमन RBI तथा राज्य सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है।
- राज्य सहकारी बैंको की पुनर्वित संस्था NABARD है।

RESERVE BANK OF INDIA (RBI)

स्थापना - 1 अप्रेल 1935 (RBI Act 1934 के माध्यम से)

- अतः यह एक सांविधिक या वैधानिक संस्था है।
- इसकी सिफारिश यंग हिल्टन आयोग के द्वारा की गई (1926)
- प्रारंभ में यह एक निजी क्षेत्र की संस्था थी तथा प्रारम्भ में इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। 1937 में इसका मुख्यालय मुम्बई स्थानान्तरित किया गया।
- 1 Jan. 1949 RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया।
- इसका स्वामित्व भारत सरकार को दे दिया गया।
- कुछ समय तक इसने पाकिस्तान तथा बर्मा की केन्द्रीय बैंक की भूमिका निभाई।

- यह शुरूआत से ही केन्द्रीय बैंक था।
- इसका प्रमुख गवर्नर कहलाता है जिसकी नियुक्ति केन्द्र सरकार के द्वारा की जाती है।
  कार्यकाल - 3 वर्ष
  1st गवर्नर - ऑस्बार्न स्मिथ
  1st भारतीय - C.D. देशमुख
  वर्तमान - शक्तिकांत दास
- ये एक स्वायत्त संस्था है अर्थात् इसके कार्यो में सरकार के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।
- यद्यपि RBI अधिनियम 1934 की धारा- 7 के तहत केन्द्र सरकार RBI को जनहित में निर्देश दे सकती है।

RBI के कार्य :-

1. **मुद्रा का निर्गमन :-** रू. 2 और उससे अधिक मूल्य के नोट RBI के द्वारा जारी किया जाता है।
- रू. 1 का नोट व सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये जाते है।
- यह वैद्य मुद्रा होती है अर्थात् इन्हें स्वीकार करने से मना नहीं किया जा सकता।

नोट की प्रिंटिंग 4 स्थानों पर की जाती है।

1. नासिक (MH)
2. देवास (MP)
3. सालबोनी (WB)
4. मैसूर (कर्नाटक)

सिक्कों की ढलाई 4 स्थानों पर होती है।

1. नोएडा 2. कलकत्ता 3. मुंबई 4. हैदराबाद

- मुद्रा जारी करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाओं का प्रयोग किया जाता है।
  - स्वर्ण आरक्षित व्यवस्था (Gold Reserve System) -मुद्रा के मूल्य का सोना RBI के पास रिजर्व रखना होता है।
  - आनुपातिक आरक्षित व्यवस्था (Proportional Reserve System)- मुद्रा के मूल्य का कुछ % सोना रिजर्व में रखना होता है। (40%)
  - न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था (Minimum Reserve System) - RBI को रू. 200Cr की परिसम्पत्तियाँ रिजर्व में रखनी होती हैं। (115 Cr के स्वर्ण बुलियन/ Govt Securities- 85 करोड़ की अन्य परिसम्पत्तियाँ)
    यह व्यवस्था 1956 से अपनायी गयी है।

- **डिजीटल मुद्रा** - हाल ही में RBI के द्वारा एक डिजीटल मुद्रा की शुरूआत की गई जिसे e-रू. कहा जाता है।
- e-रू. दो प्रकार का होता है।

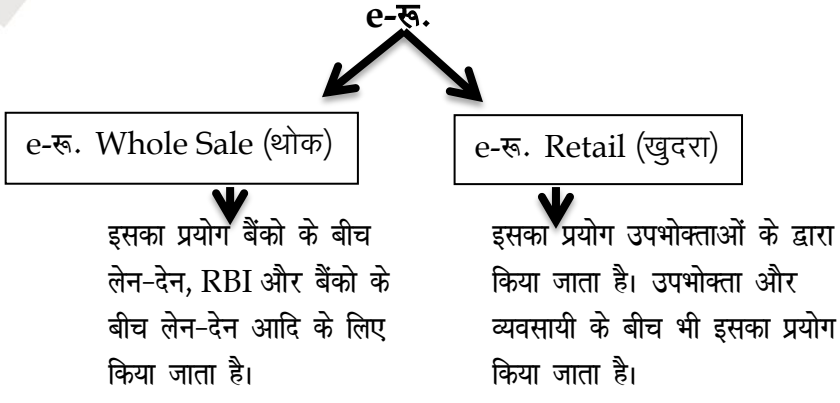

विमुद्रीकरण (Demonetisation)

- जब मुद्रा वैद्य नहीं रहती है तब इसे विमुद्रीकरण कहा जाता है।
- भारत में अब तक 3 बार विमुद्रीकरण किया गया है।
  - 1946
  - 1978
  - 8 Nov. 2016 - रू. 500-रू. तथा 1000 के नोट समाप्त

2. बैंकों की विनियामक संस्था (Regulation of Banking Act- 1949)

- RBI बैंको की विनियामक संस्था है।
- RBI बैंको को लाइसेंस प्रदान करता है।
- यदि कोई बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करता है तो RBI उस पर कार्यवाही कर सकता है।
- RBI लाइसेन्स निरस्त भी कर सकता है।
- बैंको के विनियमन के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 बनाया गया।
- RBI को बैंको का बैंक भी कहा जाता है।

3. **सरकार का बैंकर** - RBI सरकार के आन्तरिक ऋणों का प्रबन्धन करती है।

- बाहरी ऋणों का प्रबंधन सरकार के स्वयं के द्वारा किया जाता है।

4. **विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन** (Forex Reserve)

- विदेशी मुद्रा भण्डार के 4 मुख्य तत्व होते है।
  1. Foreign Currency
  2. Gold
  3. SDR (Special Drawing Rights)
  4. Reserve Tranche

5. **विनिमय दर का प्रबंधन** (Management of Exchange Rate)

- विनियमन दर वह दर होती है जिसमें घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में तथा विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।
- इस दर में अत्यधिक उतार-चढ़ाव नहीं होने चाहिए इसलिए इसके प्रबंध की आवश्यकता होती है।
- विनिमय दर का निर्धारण मांग व आपूर्ति के आधार पर किया जाता है।

6. समाशोधन गृह (क्लीयरिंग हाऊस की सुविधा)

- बैंको के बीच लेन-देनों को पूरा करने का कार्य RBI के द्वारा किया जाता है।
  Ex. Cheque Clearing

7. तरलता का नियंत्रण (Controlling Liquidity)

- मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI के द्वारा बाजार में तरलता को बढ़ाया या कम किया जा सकता है।
- मुद्रास्फीति को कम करने के लिए तरलता को कम किया जाता है तथा मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए तरलता को बढ़ाया जाता है। इसके लिए मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है।
- इसके लिए दो प्रकार के उपायों का प्रयोग किया जाता है।

1. मात्रात्मक उपाय 2. गुणात्मक उपाय

मात्राात्मक उपाय	गुणात्मक उपाय
1. CRR (Cash Reserve Ratio) नकद आरक्षित अनुपात	1. Margin Requirement मार्जिन आवश्यकता
2. SLR (Statutory Liquidity Ratio) सांविधिक तरलता अनुपात	2. Consumer Credit Regulation उपभोक्ता साख नियमन
3. Bank Rate बैंक दर	3. Credit Rationing क्रेडिट राशनिंग
4. Repo Rate रेपो दर	4. Moral Suasion नैतिक दबाव
5. Reverse Repo Rate रिवर्स रेपो रेट	5. Direct Action सीधी कार्यवाही
6. MSF – Marginal Standing Facility सीमान्त स्थायी सुविधा	
7. SDF – Standing Deposit Facility स्थायी जमा सुविधा	
8. Open Market Operation खुले बाजार का प्रचालन	
9. LTRO – Long term Repo Operation	

मात्रात्मक उपाय

A. BANK RATE: - वह दर जिस पर RBI बैंको को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है।

- इसे दण्डात्मक दर (Penal Rate) भी कहा जाता है।
- यदि कोई बैंक CRR व SLR का पालन नहीं करता है तब उस बैंक पर दण्डात्मक दर लगायी जाती है।

B. CASH RESERVE RATIO (नकद आरक्षित अनुपात)

- सभी बैंको को अपनी शुद्ध जमाओं, शुद्ध देयताओं का कुछ प्रतिशत राशि नकद के रूप में RBI के पास नकद में रखना होता है।
- जिस पर RBI कोई ब्याज नहीं चुकाता है।
- यह आपातकालीन स्थिति के लिए होता है।

C. STATUTORY LIQUIDITY RATIO (वैधानिक तरलता अनुपात)

- बैंकों को अपनी शुद्ध जमाओं का कुछ प्रतिशत तरल परिसम्पतियों में रखना होता है।
  SLR = 18%
  Ex – Gold, Cash, Govt. Securities
- इस पर बैंकों को ब्याज मिलता है।

D. Liquidity Adjustment Facility (LAF) तरलता समायोजन सुविधा

- इसे वर्ष 2000 में शुरू किया गया।
- इसके तहत Repo Market को विकसित किया गया।

E. Repo Rate

- वह दर जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है उसे Repo Rate कहते है।

- बैंक RBI के पास सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखती है परन्तु SLR की Govt. Securities का प्रयोग नही किया जा सकता है।
- यह सबसे महत्वपूर्ण दर है इसे नीतिगत दर/बेंचमार्क दर भी कहते है।

F. Reverse Repo Rate

- वह दर जिस पर बैंक अपने धन को RBI के पास अल्पकाल के लिए जमा करवाते है।
- यह ब्याज दर RBI के द्वारा बैंको को दी जाती है।
- यह दर Repo Rate से कम होती है।

G. Marginal Standing Facility (सीमांत स्थायी सुविधा) MSF

- इसे 2011 में शुरू किया गया।
- इसके तहत RBI बैंको को 1 दिन के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है तथा ब्याज दर को MSF कहा जाता है।
- इसके तहत SLR की सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखा जा सकता है।
- इसे भी दण्डात्मक दर (Penal Rate) कहा जाता है।

H. Open Market Operation (खुले बाजार की प्रक्रिया)

- इसके तहत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की जाती है यदि RBI मुद्रास्फीति को कम करना चाहता है तब सरकारी प्रतिभूतियां की बिक्री की जाती है, यदि RBI मुद्रास्फीति को बढ़ाना चाहता है तब सरकारी प्रतिभूतियाँ की खरीद की जाती है।
- यदि RBI मुद्रास्फीति को कम करना चाहता है तब बैंक रेट, रेपो रेट MSF आदि को बढ़ाया जा सकता है।
- यदि मुद्रास्फीति को बढ़ाना है तब बैंक रेट, रेपो रेट, MSF आदि को कम किया जा सकता है।
- मुद्रास्फीति को कम करने के लिए Reverse Repo Rate और SDF को बढ़ाया जा सकता है।
- मुद्रास्फीति को बढाने करने के लिए Reverse Repo Rate और SDF को कम किया जा सकता है।
- बैंक रेट और MSF रेपो रेट से 0.25% अधिक होती है तथा SDF, रेपो रेट से 0.25% कम होता है।
- Reverse Repo Rate का वर्तमान में प्रयोग नहीं किया जा रहा परन्तु इसे पूर्ण रूप से बन्द भी नहीं किया गया।

Control	Repo Rate	CRR	SLR	MSF	Open market operation	Bank Rate	Reverse Repo Rate
महंगाई Inflation	Increase	Increase	Increase	Increase	Sell Govt. Sec	Increase	Increase
अपस्फीति Deflation	Decrease	Decrease	Decrease	Decrease	Purchase Govt. Sec	Decrease	Decrease

I. LTRO (Long term repo operation)

- इसकी शुरूआत वर्ष 2020 में की गयी है।
- यह तरलता नियंत्रण (Liquidity Controlling) का एक अतिरिक्त उपाय है।
- इसके तहत बैंको को दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए गए जिन पर ब्याज दर Repo Rate के बराबर रखी गयी।

J. SDF (Standing Deposit Facility)

- वह ब्याज दर जिस पर Bank के द्वारा RBI को अल्पकालिन ऋण प्रदान किया जाता है।
- ये Reverse Repo Rate से भिन्न है क्योंकि RBI को किसी भी प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियाँ गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है।
- इस व्यवस्था की शुरूआत- April 2022 में की गई।

गुणात्मक उपाय (Qualitative Measures)

A. **Margin Requirement (मार्जिन आवश्यकता)**- इसका अर्थ है जिस वस्तु को गिरवी रखा गया है उसके अनुपात में कितना ऋण दिया जा सकता है।

- महंगाई को नियंत्रित करने के लिए मार्जिन आवश्यकता को बढ़ाया जाता है।
- मंदी के समय मार्जिन आवश्यकता को कम कर दिया जाता है।

B. Consumer Credit Regulation (उपभोक्ता साख नियमन)

- इसके तहत Down Payment के साथ ऋण की शर्तों में बदलाव किया जाता है।
- यदि महंगाई की स्थिति है - ऋण की शर्तें कठोर तथा Down Payment को बढ़ाया जाता है।
- यदि मंदी की स्थिति है - ऋण की शर्तें आसान तथा Down Payment को कम कर दिया जाता है।

C. Credit Rationing (क्रेडिट राशनिंग)

- इसके तहत ऋणों को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जाता है। यदि महंगाई की स्थिति है तो उपभोक्ताओं को ऋण कम दिए जाते है जबकि निवेशकों को अधिक ऋण दिए जाते है।
- यदि मंदी की स्थिति है तो उपभोक्ताओं को ऋण अधिक दिए जाते है।

D. Moral Suasion (नैतिक दबाव)

- RBI के द्वारा बैंको पर नैतिक दबाव बनाया जाता है।
- महंगाई के दौरान कम ऋण देने के लिए।
- मंदी के दौरान अधिक ऋण देने के लिए।

E. Direct Action (सीधी कार्यवाही)

- इसके तहत RBI के द्वारा बैंकों के विरूद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही की जाती है।

उर्जित पटेल समिति 2013 – मौद्रिक नीति में सुधार के लिए गठित

प्रमुख सिफारिशे :-

1. मौद्रिक नीति का एक मात्र लक्ष्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना होना चाहिए।
2. मुद्रास्फीति की दर $4\% \pm 2\%$ होनी चाहिए।
3. मुद्रास्फीति के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाना चाहिए।
4. मौद्रिक नीति का निर्माण करने के लिए मौद्रिक नीति समिति का गठन किया जाना चाहिए।
5. मौद्रिक नीति की समीक्षा दो माह में एक बार की जानी चाहिए।
6. महंगाई नियंत्रण में सरकार द्वारा सहयोग किया जाना चाहिए।

- इन सिफारिशों को सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया।

मौद्रिक नीति समिति

- उर्जित पटेल समिति की सिफारिश के बाद 2016 में RBI Act में संशोधन के माध्यम से इसकी स्थापना की गई। इसमें कुल 6 सदस्य होते है। (RBI-3, Govt-3)
  अध्यक्ष - RBI गवर्नर
  कार्यकाल - 3 वर्ष
  निर्णय - मतदान से
- यदि पक्ष और विपक्ष को बराबर मत मिलते है तब RBI गवर्नर के पास निर्णायक मत देने की शक्ति होती है जिसका अर्थ है कि RBI गवर्नर एक अतिरिक्त मत डालेगा।
  (RBI गवर्नर के पास वीटों की शक्ति नहीं होती है।)
- यदि मौद्रिक नीति समिति लगातार 9 महीने तक लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहती है तब उसके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें मुद्रास्फीति के कारणों, समिति के प्रयासों तथा असफलता की समीक्षा की जाती है।
- यह रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को भेजी जाती है।

बैंकिंग से जुड़ी अन्य अवधारणाएँ:-

Priority Sector Lending (प्राथमिक क्षेत्र के ऋण)

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको को अपनी ऋण योग्य राशि का 40% प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देना अनिवार्य है।
- निम्नलिखित क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किया जाता है-
  1. कृषि (Agriculture) = 18%
     लघु व सीमान्त किसान (Small & Marginal farmer)
  2. दुर्बल वर्ग (Weaker Section)= 12%(Sc/St/Woman/Minority)
  3. सूक्ष्य उद्योग (Micro Industory) = 7.5%
  4. अन्य क्षेत्र- लघु उद्योग, निर्यातक, वहनीय आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, स्टॉर्टअप
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंको के लिए PSL का लक्ष्य 75% है।
- शहरी सहकारी बैंको के लिए 2024 तक PSL लक्ष्य बढ़ाकर 75% किया जायेगा।
  PSL प्रमाण पत्र :- यदि कोई Bank लक्ष्य से अधिक ऋण प्राथमिक क्षेत्र को देता है तब वह PSL प्रमाण पत्र जारी कर सकता है तथा जो Bank लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया है वह इस प्रमाण पत्र को खरीद सकता है।

Capital Adequacy Ratio (CAR) पूंजी पर्याप्तता अनुपात

- बैंकों को अपनी जोखिम युक्त परिसम्पतियों का एक निश्चित प्रतिशत पूंजी के रूप में रखना होता है।
- सामान्य अर्थों में जोखिम युक्त क्षेत्र को जितना ऋण दिया जाना है उसका कुछ % पूंजी के रूप में रखना अनिवार्य होता है।

$$\text{CAR} = \frac{\text{Capital}}{\text{Risky Assets}} \times 100$$

- इस अवधारणा को बेसल मानकों के आधार पर अपनाया गया है।
- ये मानक Bank for International settlement के द्वारा जारी किए जाते हैं।

BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS

- स्थापना - 1930
- मुख्यालय-बेसल (स्वीट्जरलैण्ड)
- यह केन्द्रीय बैंको की एक संस्था है जिनका मुख्य कार्य अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों को पूरा करवाना तथा बैंकिंग में अनुसंधान करना है।
- यह अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को जारी करता है जिनकों बेसल मानक कहा जाता है।
- अब तक 3 बार बेसल मानक जारी किए जा चुके है-
  Basel-I – 1988, Basel-II-2004, Basel-III-2010
- वर्तमान में Basel-III लागू है।
- RBI-1996 में इसका सदस्य बना।
- बेसल मानक बाध्यकारी नहीं है परन्तु यदि केन्द्रीय बैंक चाहे तो इन्हें बाध्यकारी बनाया जा सकता है।
  Basel –III के अनुसार CAR= 8% होना चाहिए।
  भारत में RBI के द्वारा निम्नलिखित CAR निर्धारित किये गये है।
  Private Sector =9%
  Public Sector = 12%
- इन नियमों को 2020 तक लागू कर दिया जाना चाहिए था, परन्तु कोरोना के कारण इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया।

CALL MONEY MARKET (याचना बाजार)

- दिन प्रतिदिन के लेन-देन में कुछ बैंकों के पास धन का आधिक्य होता है कुछ बैंकों के पास धन की कमी।
- ऐसी परिस्थिति में बैंकों के बीच फोन-कॉल पर लेन-देन किये जाते है जिसे Call Money Market कहा जाता है।
  Interest Rate = Call Rate
- यदि ऋण 1 दिन के लिए लिया गया है तो उसे Call Money कहा जाता है।
- यदि ऋण 2 से 14 दिन के लिए लिया गया है तब उसे Notice Money कहा जाता है।
- RBI मौद्रिक नीति को जारी करते समय Call Rate को ध्यान में रखती है।
- इस दर में अत्यधिक उतार-चढाव होता है।
- दुनिया का सबसे बड़ा Call Money Market London हैं यहाँ की ब्याज दर को LIBOR कहा जाता है।
  (LIBOR = London Inter Bank offer Rate)
- भारत का सबसे बड़ा Call Money Market-Mumbai
  (MIBOR = Mumbai Inter Bank Offer Rate)

मुद्रा की आपूर्ति

- मुद्रा की आपूर्ति की गणना, करने के लिए मुद्रा समुच्चय का प्रयोग किया जाता है।
- RBI के द्वारा मुद्रा की आपूर्ति की जाती है।

मुद्रा समुच्चय :

1. M_1 = जनता के पास (नकद) + बैंकों के पास (मांग जमा) + RBI के पास अन्य जमा

   ↓

   (Govt. Deposit + अन्य देशों की केन्द्रीय बैंको की जमाएँ + IMF आदि की जमाएँ)

2. $M_2 = M_1$ + डाकघर के पास मांग जमा
3. $M_3 = M_1$ + बैंको के पास सावधि जमाएँ
4. $M_4 = M_3$ + डाकघर की सभी जमाएँ
5. M_0 = जनता के पास नकद + RBI के पास अन्य जमाएँ + RBI के पास बैंको की नकद जमा (CRR)

तरलता का क्रम = $M_0 > M_1 > M_2 > M_3 > M_4$

M_0 - मौद्रिक आधार, उच्च शक्ति मुद्रा

- बाजार में तरलता की गणना करने के लिए RBI के द्वारा M_0 का प्रयोग किया जाता है।
- M_1 व M_2 को Narrow Money कहा जाता है क्योंकि ये ऋण में अधिक मदद नहीं करते है।
- M_3 व M_4 को Broad Money कहा जाता है क्योंकि ये ऋण में मदद करते है। (M_3 अधिक महत्वपूर्ण)

नये मुद्रा समुच्चय

NM_1 = जनता के पास नकद + बैंकों के पास मांग जमाएँ + RBI के पास अन्य जमाएँ
$NM_2 = NM_1$ + निवासियों की अल्पकालिक सावधि जमाएँ + बैंकों के द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण पत्र
$NM_3 = NM_2$ + निवासियों की दीर्घकालीन सावधि जमाएँ + बैंकों के द्वारा लिये गये दीर्घकालीक ऋण
$L_1 = NM_3$ + डाकघर की जमाएँ
$L_2 = L_1$ + पुनर्वित संस्था की जमा
$L_3 = L_2$ + NBFC की जमा

मुद्रा गुणांक (Money Multiplier)

मुद्रा गुणांक = $\frac{M3}{M_0}$

- मुद्रा गुणांक और CRR में नकारात्मक संबंध है।
- मुद्रा गुणांक और वित्तीय समावेशन के बीच सकारात्मक संबंध होता है।
- CRR के बढ़ने से मुद्रा गुणांक कम हो जाता है।
- डिजीटल भुगतान बढ़ने से मुद्रा गुणांक बढ़ता है।

DIGITAL TRANSACTION (डिजीटल भुगतान)

- भारत में डिजीटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मुख्य संस्था National Payment Corporation of India (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम)
- स्थापना- 2008
- स्वामित्व- RBI + इंडियन बैंक एसोसियशन

मुख्य सेवाएँ

1. **IMPS –** तत्काल भुगतान सेवा (Immediate Payment Service)
   - मोबाईल बैंकिंग इस पर आधारित है। 2010 में शुरू की गयी।
   - रू. 5 लाख तक का भुगतान किया जा सकता है।
2. **CTC** – Cheque Truncation system चेक ट्रंकेशन सिस्टम
   - चैक को इलेक्ट्रानिक रूप में परिवर्तित कर दिया गया।
3. **BHIM** – (Bharat Interface for money) 2016 में शुरू की गयी।
4. **Rupay Card**
   - यह भारतीय कार्ड योजना का हिस्सा है।
   - इसे 2012 में शुरू किया।

5. **UPI – Unified Payment interface (एकीकृत भुगतान इंटरपफेस)**

- शुरूआत 2016
- दो खातों के बीच तुरंत फण्ड ट्रॉन्सफर।
- इसमें बैंकों की सूचनाओं को एक वर्चुअल एड्रेस से जोड़ दिया जाता है जैसे- मोबाइल नंबर, QR Code,UPI-ID

6. **National Finance Switch (राष्ट्रीय वित्त स्विच)**

- ATM का साझा नेटवर्क
- 2004 में शुरू
- वर्तमान में NPCI के अधीन आ गया।

7. National Automated Clearing House (NACH) (राष्ट्रीय स्वचालित समाधान गृह)

- वेतन, सब्सिडी आदि जैसे बड़े लेन-देन के लिए।

8. FASTAG – इसका प्रयोग स्वचालित टोल भुगतान के लिए

9. National Bill Pay Limited - 2021 में शुरू

BANKING OMBUDSMAN (बैंकिग लोकपाल)

- बैंको से संबंधित शिकायते बैंकिग लोकपाल से की जा सकती है।
- 1995 में 15 बैंकिंग लोकपाल स्थापित किये गये।
- बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के विरूद्ध अपील RBI के डिप्टी गवर्नर से की जाती है। बैंकिंग लोकपाल रु. 1 लाख तक का जुर्माना लगा सकता है।
- रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना- (12 Nov. 2021) जिसके तहत RBI के द्वारा नियमित सभी संस्थाओं से संबंधित शिकायत एकीकृत लोकपाल से की जा सकती है।

बैंको के द्वारा ब्याज दर का निर्धारण

- ब्याज दरों के निर्धारण के लिए RBI के द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये है।

1. Benchmark Prime Lending Rate (BPLR)

- RBI के द्वारा यह दिशा निर्देश 2004 में जारी किये।
- इसके अनुसार ब्याज दर - प्राइम दर + जोखिम
- प्राइम दर वह दर है जिस पर प्राइम उपभोक्ताओं को ऋण प्रदान किया जाता है।
- बैंक के दो प्रकार के उपभोक्ता होते है-
  - A. Prime Customer (सबसे विश्वसनीय उपभोक्ता)
  - B. Sub-prime Customer (विश्वसनीयता कम होती है।)
- BPLR बाध्यकारी नहीं थी। इसलिए 2010 में RBI के द्वारा एक नई व्यवस्था शुरू की गई।

2. Base Rate -

- 2010 में शुरू
- कोई भी बैंक Base Rate से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध नहीं करवा सकता।
- Base Rate की गणना के लिए बैंक की लागत की गणना की जाती है।

3. Marginal cost of fund-based lending Rate (MCLR)

- यह व्यवस्था 2016 में अपनायी गई।
- इससे Base Rate को प्रतिस्थापित किया गया।
- MCLR की गणना में Repo Rate को भी शामिल किया गया।

- इससे मौद्रिक नीति अधिक प्रभावी बन गयी।

4. External Benchmark Lending Rate (EBLR)

- Oct 2019 में अपनाया गया।
- MCLR की गणना आन्तरिक रूप से की जाती है। जबकि EBLR की गणना 4 बाह्य बैंचमार्क के आधार पर की जाती है।
  1. Repo Rate
  2. 91 days T-Bill yield (लाभ)
  3. 182 days T-Bill yield
- Financial Benchmark India pvt. Ltd. के द्वारा जारी किया गया बेंचमार्क
- इस व्यवस्था से बेंचमार्क निर्धारण में समरूपता आयी है तथा मौद्रिक नीति और अधिक प्रभावी बन गयी है।

NON PERFORMING ASSETS(गैर निष्पादित परिसम्पतियाँ)

- यदि किसी ऋण का मूलधन और ब्याज 90 days तक नहीं चुकाया जाता है तब ऐसे ऋणों को NPA कहा जाता है।
- NPA का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है-

  I. Sub-standard NPA-NPA घोषित होने के 12 माह तक के ऋण Sub standard NPA कहलाते है।

  II. Doubtful NPA- ऐसे NPA जिनकों Sub-standard हुए 12 माह हो गये।

  III. Loss NPA - जब NPA की वसूली के लिए सभी प्रयास किये जा चूके है परन्तु ये प्रयास असफल हुये है।

NPA की वसूली के लिए किए गए प्रयास-

1. 1993 में 29 DRT स्थापित किये गये। जो कि ऋण वसूली में विशेषज्ञ न्यायालय है।
2. 2000- CIBIL(credit information Bureau limited)
3. SARFAESI Act 2002 (Securtisation and Reconstruction of Financial Assests and Enforcement of Security Interest Act)

- इस कानून के तहत यदि कोई ऋण समय पर नहीं चुकाया जाता है तब बैंक 60 दिन का नोटिस देकर गिरवी रखी सम्पतियों पर अधिकार कर सकता है।
- ऋण को बेचा जा सकता है। ऋण खरीदने के लिए Assets Reconstruction Company (ARC) की स्थापना की जाती है यह कम्पनियाँ ऋण वसूली में विशेषज्ञ होती है।

Insolvency and Bankrupty code 2016 (IBC)
(दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता- 2016)

- यदि कोई कंपनी ऋण नहीं चुकाती है तब उसकी शिकायत NCLT (National Company Law Tribunal) से की जाती है। समाधान 6 माह में कर लिया जाता है।
- समाधान मुख्यतया तीन प्रकार के होते है-
  i. कम्पनी के प्रबंधन में परिवर्तन
  ii. किसी अन्य कम्पनी में विलय
  iii. परिसम्पतियों की निलामी
- यह प्रक्रिया 180 दिन में पूरी की जानी चाहिए।
- कुछ विशिष्ट मामलों में समय सीमा को बढ़ाकर 270 दिन भी किया जाता है।

BAD BANK

- नरसिंहन समिति- II ने BAD Loan को NPA नाम दिया।
- NPA की वसूली के लिए BAD BANK की स्थापना की गई। (स्थापना- 2021)
- यह एक विशिष्ट प्रकार का बैंक होता है। जो कि अन्य बैंको से NPA की खरीद करता है तथा वसूली के प्रयास करता है।
- भारत का पहला बैंक NARCL (National Assets Reconstruction Company Ltd.) है। यह रू. 2 लाख करोड़ के NPA की खरीद करेगा।

DEVELOPMENT FINANCE INSTITUTION (DFI)

- यह किसी विशिष्ट क्षेत्र के विकास के लिए स्थापित किये जाते है।

भारत के प्रमुख DFI

I. INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA

- स्थापना - 1948
- भारत का पहला DFI
- भारत सरकार का उपक्रम

II. INDUSTRIAL CREDIT AND INVESTMENT CORPORATION OF INDIA (ICICI)

- स्थापना - 1955
- भारत का दूसरा DFI
- 2002 में ICICI को पूर्ण रूप से बैंक में परिवर्तित कर दिया गया।

III. INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA LTD (IDBI)

- स्थापना - 1964
- प्रारंभ में इसका स्वामित्व RBI के अधीन था।
- 1976 में इसका स्वामित्व भारत सरकार को हस्तान्तरित किया गया।
- 2004 में इसे बैंक बना दिया गया।
- 2018 में LIC ने इसके शेयर भारत सरकार से खरीद लिये।

पुनर्वित संस्था-

EXIM BANK -(EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA) (भारतीय निर्यात-आयात बैंक)

- स्थापना- 1982
- HQ मुख्यालय-मुंबई
- कार्य-आयातकों व निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना।

NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development)

- स्थापना - 1982 (शिवरमन समिति की सिफारिश पर)
- मुख्यालय-मुंबई
- कार्य - सहकारी और RRB बैंक को पुनर्वित की सुविधा उपलब्ध करवाता है।
- प्रारंभ में इसका स्वामित्व भारत सरकार और RBI के पास था।

- 2018 में स्वामित्व पूर्णरूप से भारत सरकार के अधीन आ गया।
- 1995 में इसके अधीन RIDF की स्थापना की गयी। यदि कोई बैंक PSL के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है तब शेष राशि RIDF में जमा करवायी जा सकती है।

NATIONAL HOUSING BANK (राष्ट्रीय आवास बैंक)

- स्थापना - 1988
- मुख्यालय - नई दिल्ली
- प्रारंभ में 100% RBI के स्वामित्व में था। लेकिन भारत सरकार ने इसे 2019 में खरीदा था।
- आवास क्षेत्र के विकास के लिए पुनर्वित सुविधा उपलब्ध करवाता है।
- मूल्य निगरानी के लिए रेजीडेक्स (RESIDEX) इंडेक्स जारी करता है।
- Urban Infrastructure Development Fund (UIDF), NHB द्वारा संचालित की जाएगी।

SIDBI – SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक)

- स्थापना - 1990
- HQ – लखनऊ
- प्रारंभ में IDBI के अधीन था।
- वर्तमान में भारत सरकार SBI, LIC, IDBI etc इसके मालिक है।
- लघु उद्योगों के विकास के लिए पुनर्वित सुविधा प्रदान करता है।
- SEDF – (Small Enterprices Development Fund) इसके अधीन कार्य करती है।
- Index – CRISIDEX

MUDRA BANK (Micro Unit Development and Refinance Agency)

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्थापित किया गया।
- स्थापना - 2015
- यह एक पुनर्वित संस्था है।
- मुद्रा बैंक SIDBI के अधीन कार्य करती है।
- यह सूक्ष्म इकाईयों को ऋण उपलब्ध करवाता है।
  Ex- सड़क विक्रेता ठेले वाले
- यह कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध नहीं करवाता है।
- 3 प्रकार के ऋण उपलब्ध करवायें जाते है।
  I. शिशु - 50 हजार तक
  II. किशोर - 50 हजार से 5 लाख
  III. तरूण - 5 लाख से 10 लाख

NBFC – (Non-Banking Finance Companies)

- ऐसी कंपनियाँ जिनके पास बैंक का लाइसेन्स नहीं होता है, परन्तु वह वित्तीय क्षेत्र में कार्य करती है, NBFC कहलाती है।
- इनकी स्थापना – कंपनी अधिनियम के अधीन की जाती है।
- यह विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती है।
  Ex. – Insurance, Pension, Housing Sector, ऋण प्रदान करना आदि।
- इसका नियमन अलग-अलग संस्थाओं के द्वारा किया जाता है।
  Ex.- Insurance – IRDAI
  (Insurance Regulatory and Development Authority of India)
- Pension – PFRDA (Pension fund Regulatory and Development Authority)
- Housing - NHB
- Credit – RBI
- भारत में लगभग 10,000 NBFC है। कुछ NBFC जमाएँ स्वीकार कर सकते है।
- ये सिर्फ अवधि जमाएँ (Time Deposit) स्वीकार कर सकते है। मांग जमाएँ (Demand Deposit) स्वीकार नहीं कर सकते।
- किसी प्रकार का कार्ड जारी नहीं कर सकते।
- CRR का पालन नहीं करना होता परन्तु SLR का पालन करना होता है।
- बेसल मानको की पालना
- यह Cheque Book जारी नहीं कर सकते है।
- इन जमाओं को DICGC सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।

DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation)

- स्थापना – 1978
- इसका पूर्ण स्वामित्व RBI के पास है।
- बैंक की जमाओं पर बीमा उपलब्ध करवाता है।
- यह 5 लाख तक का बीमा उपलब्ध करवाता है।

वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद

- स्थापना -2010
- अध्यक्ष – केन्द्रीय वित्त मंत्री
- सदस्य – RBI का गर्वनर
  SEBI का अध्यक्ष
  IRDAI का अध्यक्ष
  PFRDA का अध्यक्ष
  वित सचिव
  कॉर्पोरेट मंत्रालय का सचिव
  Insolvency and Bankrupty Board of India का अध्यक्ष

FINANCIAL INCLUSION (वित्तीय समावेशन)

- एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सभी को गुणवत्ता पूर्वक वित्तीय उत्पाद वहनीय दरों पर उपलब्ध करवाये जाते है।
  वित्तीय उत्पाद जैसे-
  - बैंक में खाता खोलना।

- बैंक से ऋण प्राप्त।
- बैंक की अन्य सेवायें प्राप्त करना।
- वित्तीय साक्षरता।
- बीमा सेवाएँ
- पेंशन सेवाएँ
- निवेश के विकल्प
- डिजीटल भुगतान
- वित्तीय आधारभूत ढ़ांचा

वित्तीय समावेशन सूचकांक (Financial Inclusion Index)

- शुरूआत में 2021
- RBI के द्वारा प्रत्येक वर्ष जुलाई में जारी किया जाता है।
- इसके माध्यम से भारत में वित्तीय समावेशन मापा जाता है।
- इसके 3 कारक है-
  I. Access (पहुँच) - 35%
  II. Usage (उपयोगिता) - 45%
  III. Quality (गुणवत्ता)- 20%
- इसकी गणना के लिए 97 संकेतों का प्रयोग किया जाता है।
- यह सूचकांक 0 to 100 के बीच होता है।
- 0 का अर्थ है-कोई भी वित्तीय समावेशन न होना।
- 100 का अर्थ है - पूर्ण वित्तीय समावेशन

इसका कोई आधार वर्ष नहीं है।

राजकोषीय नीति

- सरकार की प्राप्तियों और व्यय से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है।
- इसे बजट के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है यह एक प्रचलित शब्द है जिसका वास्तविक अर्थ 'चमड़े का बेग' होता है।
- संविधान में 'वार्षिक वित्तीय विवरण' अनु. 112 शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि प्रत्येक वर्ष संसद (लोकसभा) में प्रस्तुत किया जाता है।
- भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विलसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया।
- स्वतंत्र भारत का पहला बजट नवम्बर 1947 में R.K. षण्मुखम् शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया।
- बजट फरवरी के पहले कार्यदिवस को प्रस्तुत किया जाता है।
- 2017 से पहले ये फरवरी के अन्तिम कार्यदिवस को प्रस्तुत किया जाता था।
- 2017 के बजट में दो अन्य परिवर्तन भी किये गये–
  (i) रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया यह विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर किया गया। (वर्तमान में में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकारी परिषद के अध्यक्ष)
  (ii) योजनागत और गैर–योजनागत व्यय के भेद को समाप्त कर दिया गया।
- योजनागत व्यय वह व्यय है जो कि पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) अंतिम पंचवर्षीय योजना थी।
- बजट सुबह 11 बजे प्रस्तुत किया जाता है 1999 से पहले में शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था।
- जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तब सर्वप्रथम बजट वित्तमंत्री के द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है।

  इस भाषण के दो भाग होते हैं।

  Part A – अर्थव्यवस्था से जुड़ी सामान्य घोषणाएँ

  Part B – कर संबंधी परिवर्तन।

  संसद में वित्तमंत्री के द्वारा तीन दस्तावेज रखे जाते हैं।

  (i) वार्षिक वित्तीय विवरण – इसमें प्राप्तियाँ और व्यय की जानकारी होती है।

  (ii) वित्त विधयेक – यह कर संबंधी परिवर्तनों के लिए लाया जाता है।

  (iii) विनियोग विधेयक – संचित निधि में से खर्च की अनुमति के लिए।

- बजट प्रस्तुत करने के एक दिन पहले संसद में आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है। यह आर्थिक समीक्षा मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा तैयार की जाती है।
- वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनन्त नागेश्वरन् है। बजट से संबंधित सभी दस्तावेज आर्थिक मामलात के विभाग द्वारा तैयार किये जाते हैं।

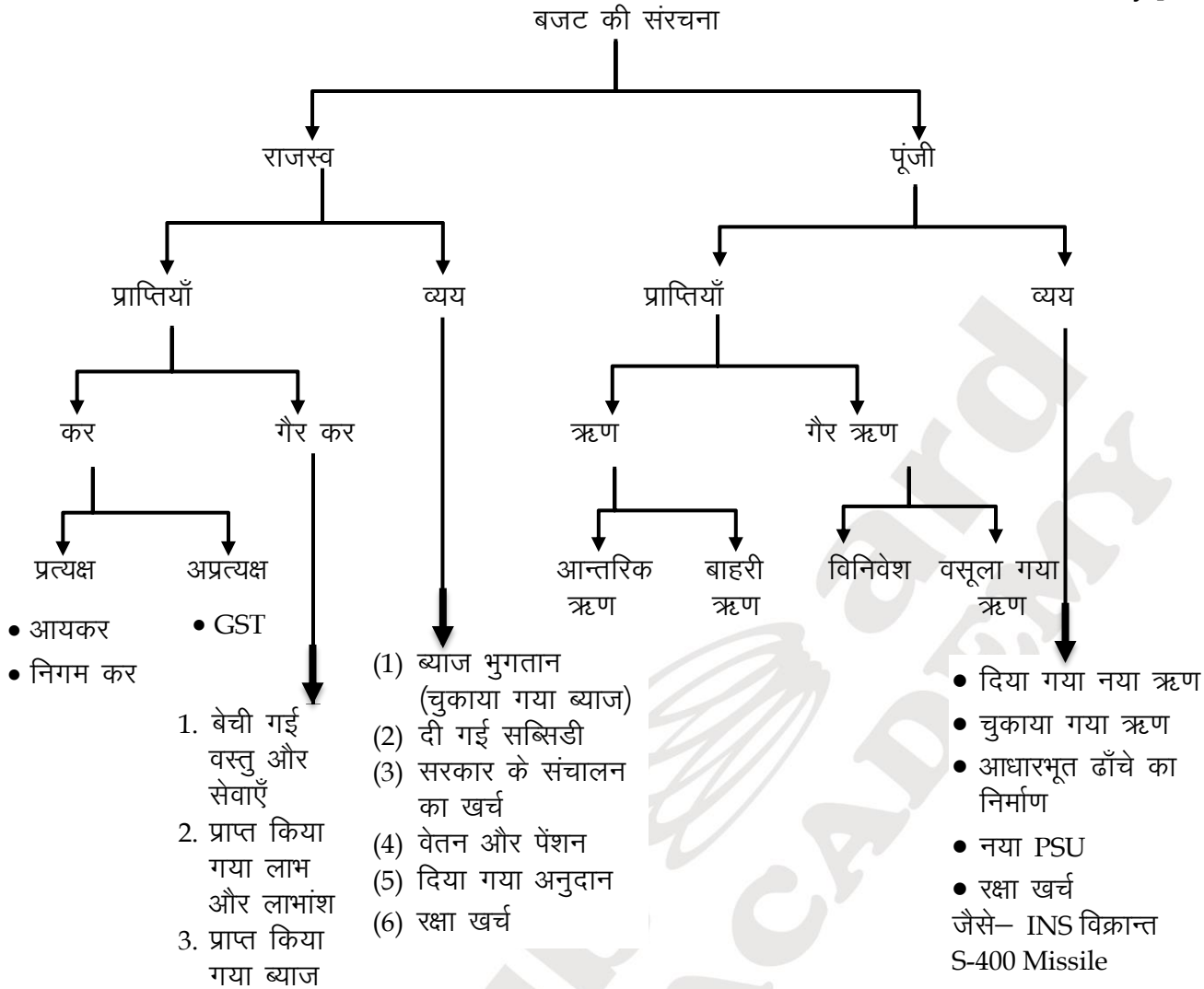

- **पूंजीगत व्यय–** वह व्यय जिससे या तो परिसम्पतियाँ बढ़ती है या देयताएं कम होती है।
- **पूंजीगत प्राप्तियां** – वह प्राप्तियां जिससे या तो परिसम्पतियाँ कम होती है या देयताएं बढ़ती है।
- **राजस्व व्यय–**वह व्यय जिससे ना तो परिसम्पतियाँ बढ़ती है ना ही देयताएँ कम होती है यह उपभोग का व्यय होता है।
- **राजस्व प्राप्तियां –** वो प्राप्तियां जिससे ना तो परिसम्पतियाँ कम होती है और ना ही देयताएँ बढ़ती है।
- पूंजीगत व्यय को अच्छा माना जाता है जबकि राजस्व व्यय को अच्छा नहीं माना जाता।

बजट के घाटेः–

(1) **राजस्व घाटा –** राजस्व के व्यय और प्राप्तियां का अन्तर। राजस्व घाटा = राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियां

(2) **प्रभावी राजस्व घाटा–** प्रभावी राजस्व घाटा = राजस्व घाटा परिसम्पति निर्माण के लिए – दिये गये अनुदान

(3) **राजकोषीय घाटा/राजवित्तीय घाटाः**– एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा सृजित कुल देयताएं अर्थात् एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा लिया गया ऋण। गणितीय रूप में –

- राजकोषीय घाटा = कुल व्यय – राजस्व प्राप्तियां – गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ

या

- राजकोषीय घाटा = कुल व्यय – [राजस्व प्राप्तियां + ऋणों की वसूली + विनिवेश से प्राप्तियां]
- यह बजट का सबसे महत्वपूर्ण घाटा है इसका प्रयोग 1997 से किया जा रहा है।
- इसकी सिफारिश सुखमोय चक्रवर्ती समिति के द्वारा की गई थी।
- इससे पहले बजट घाटे का प्रयोग किया जाता था।

बजट घाटा = कुल व्यय – कुल प्राप्तियां

- बजट घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार के द्वारा RBI को तदर्थ ट्रेजरी बिल जारी किये जाते थे तथा RBI के द्वारा नये मुद्रा नोटों का सृजन कर लिया जाता था इस प्रक्रिया को घाटे का मौद्रीकरण कहा जाता है।
- वर्तमान में बजट घाटा शून्य होता है।

(4) प्राथमिक घाटा :–

- प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
- यह इस बात का संकेतक है कि राजकोषीय घाटे का कितना भाग पुराने ऋणों के ब्याज भुगतान में प्रयोग लिया जा रहा है।
- कुछ मात्रा में राजकोषीय घाटा होना चाहिए परन्तु इसका प्रयोग पूंजीगत व्यय के लिए किया जाना चाहिए।
- राजकोषीय घाटे की अधिकता अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक है।

FRBM कानून (राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2003):– इस कानून में निम्नलिखित लक्ष्य रखे गये हैं–

- राजकोषीय घाटा – 3% of GDP
- राजस्व घाटा – 0% of GDP
- यह लक्ष्य 2008–09 तक प्राप्त करना था।
- 2006 के बाद घाटे का मौद्रीकरण नहीं किया जायेगा।
- इस कानून के तहत संसद में तीन दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते हैं–
  (i) मध्यम अवधि का राजकोषीय नीति विवरण
  (ii) राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य
  (iii) वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण

➢ इस कानून के लक्ष्य को समय पर प्राप्त नहीं किया जा सका इसलिए इसमें बार–बार परिवर्तन किये गये।

➢ 2012 में राजस्व घाटे के स्थान पर प्रभावी राजस्व घाटे को शून्य करने का लक्ष्य रखा गया।

	Revised Estimates 2022-23	**Budget Estimate2023-24**
1. Fiscal Deficit	6.4	5.9
2. Revenue Deficit	4.1	2.9
3. Primary Deficit	3.0	2.3
4. Tax Revenue (Gross)	11.1	11.1
5. Non-tax Revenue	1.0	1.0
6. Control Government Debt	57.0	57.2

FRBM समीक्षा समिति:– गठन 2016, अध्यक्षता – N. K. Singh

बजट सुधार :–

(1) जीरो बेस बजट (Zero base Budget):- पारम्परिक बजट में सिर्फ नये खर्चों की ही समीक्षा की जाती है पुराने खर्चों की समीक्षा नहीं की जाती है परन्तु जीरो बेस बजट में नये और पुराने सभी खर्चों की समीक्षा

की जाती है। अनावश्यक खर्चों को दूर कर दिया जाता है इसे राजकोषीय घाटे को नियंत्रण करने में मदद मिलती है।

- पहली बार 1986 में विज्ञान, और तकनीक विभाग द्वारा इसे अपनाया गया।
- इसकी मुख्य चुनौती है कि इसमें समय अधिक लगता है इसीलिए इसे आंशिक रूप से ही अपनाया गया।

(2) **आउटकम बजट** (Outcome Budget) :- इसे 2005 में अपनाया।

- इसमें प्रत्येक खर्च के समक्ष कर दिया जाता है। एक लक्ष्य निर्धारित – इसमें खर्च हेतु लक्ष्य निर्धारित
- खर्च की समीक्षा उस लक्ष्य के आधार पर की जाती है।

(3) **Gender Budget:-** शुरूआत – 2005

- इसमें महिलाओं के लिए किये गये व्यय को अलग से दर्शाया जाता है।
- इसके दो भाग होते हैं–

Part A – इसमें उन योजनाओं को रखा जाता है जहाँ 100% आवंटन महिलाओं के लिए किया गया है।
Part B – इसमें उन योजनाओं को रखा जाता है जहाँ 30% से अधिक आवंटन महिलाओं के लिए है।
Note– चुनावी वर्ष में प्रस्तुत किया गया बजट, अंतरिम बजट कहलाता है।

कर (TAX) :– यह सरकार को किया गया अनिवार्य भुगतान है जिसके बदले सरकार प्रत्यक्ष रूप से कोई वस्तु या सेवा नहीं देती है ये सरकार के राजस्व का मुख्य स्त्रोत है।

- कर दो प्रकार के होते है।

प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष
▪ ये सामान्यतः व्यक्ति या संस्था या लाभ पर लगाया जाता है। ▪ इसमें कर भार को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। ▪ इसमें करापात और कराघात एक ही बिन्दू पर होते है अर्थात् जिस पर कर लगाया जाता है, उस पर इसका असर होता है। EX – Income Tax, निगम कर	▪ ये सामान्यतः वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है। ▪ इसमें कर भार को हस्तांतरित किया जा सकता है। ▪ इसमें करापात और कराघात, अलग–2 बिन्दुओं पर होते हैं। EX – GST

कर के ऊपर कर :– सरकार कर के उपर भी कर लगा सकती है ये दो प्रकार का होता है–

(1) **उपकर (Cess) –** यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है इस से प्राप्त राजस्व का प्रयोग सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
जैसे – Health cess, Education cess, Road cess

(2) **अधिभार (Surcharge) :–** इसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है इस से प्राप्त राजस्व का प्रयोग किसी भी कार्य के लिए किया जा सकता है।

उपकर और अधिभार की प्रकृति अस्थायी होती है।
इन से प्राप्त राजस्व को राज्य सरकार के साथ साझा नहीं किया जाता है। (वित आयोग की सिफारिश पर)

केन्द्र सरकार के प्रत्यक्ष कर :–

- आयकर
- निगमकर
- मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (MAT) – 15%
- कैपिटल गेन्स टैक्स

- सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स
- कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स
- लाभांश वितरण कर (2020 में समाप्त)
- वेल्थ टैक्स (2015 में समाप्त)
- फ्रिंज बेनिफिट टैक्स (2009 में समाप्त)
- बैंकिंग नकद लेनदेन कर (2005–09 के बीच समाप्त)
- उपहार कर (1998 समाप्त)

आयकर (Income Tax) : यह कर व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। सकल आय (Gross Income) : एक वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों से प्राप्त कुल आय।

कर योग्य आय = सकल आय – छूट

कृषि आय
आवासीय ऋण
जीवनबीमा
शिक्षा ऋण
बचत योजना

- जैसे – जैसे आय बढ़ती है कर की दर भी बढ़ती है इसीलिए आयकर को प्रगतिशील कर कहा जाता है।
- इससे आय की असमानता कम होती है।
- 2020 में नई कर प्रणाली की घोषणा की गई जो लोग छूट का फायदा नहीं लेना चाहते हैं वे नई कर प्रणाली का प्रयोग कर सकते है तथा जो छूट का लाभ लेना चाहते हैं वे पुरानी कर प्रणाली में बने रह सकते है।

नई कर प्रणाली	पुरानी कर प्रणाली
0-3 lakh → Nil 3-6 lakh →5% 6-9 lakh → 10% 9-12 lakh →15% 12-15 lakh→ 20% 15 lakh→30%	0-2.5 lakh→ Nil 2.5-5 lakh → 5% 5-10 lakh→ 20% 10 lakh→30%

(2) **निगम कर (Corporate tax):–** यह कर व्यवसायिक संस्थाओं के लाभ पर लगाया जाता है। कर योग्य लाभ = सकल लाभ – छूट

- यह छूट निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती है परन्तु इसके कारण विभिन्न विवाद उत्पन्न हुए अतः सरकार ने 2019 में एक नई कर प्रणाली की घोषणा की जिसके तहत यदि कोई कम्पनी छूट का प्रयोग नहीं करती है तब उस पर 22% कर लगाया जायेगा अन्यथा 25%, 30% कर लगाया जाता है।
- यदि विनिर्माण क्षेत्र में 2019– 2024 के बीच कोई नई कंपनी स्थापित की जाती है तब उस पर 15% कर लगाया जायेगा।

(3) **मिनिमम अल्टरनेट टैक्स/न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT):–** कुछ कम्पनियाँ छूट का अत्यधिक प्रयोग करती है जिसके कारण कर योग्य लाभ शून्य हो जाता है ऐसी कम्पनियों पर एक अतिरिक्त कर लगाया जाता है।

(4) **पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains tax):–** जब किसी परिसम्पति को बेचा जाता है तब हुए लाभ पर यह कर लगाया जाता है यदि परिसम्पति को 3 वर्ष से पहले बेचा गया है तब अल्पकालिक पूंजीगत कर

लगाया जाता है यदि परिसम्पति को 3 वर्ष बाद बेचा गया है तब दीर्घकालिक पूंजीगत कर लगाया जाता है।

- शेयर बाजार के लिए यह समय सीमा एक वर्ष है।
- इस टैक्स के लिए TDS (Tax deducted Source) प्रणाली का प्रयोग किया जाता है अर्थात खरीददार के द्वारा यह कर जमा करवाया जाता है।
- वोडाफोन का कर विवाद पूंजीगत लाभ कर से जुड़ा हुआ इसमें निम्नलिखित अवधारणाओं का प्रयोग किया गया–

(i) कर अपवंचन – जब कर कानूनों का उल्लंघन करते हुए कर नहीं चुकाया जाता है।

(ii) कर परिहार– जब कर कानूनों की कमियों का फायदा उठाते हुए कर नहीं चुकाया जाता है।

भूतलक्षी कराधान :– जब भूतकाल के लेन–देन पर कर लगाया जाता है 2012 में जोड़ा गया तथा 2021 में इसे हटाया गया।

अप्रत्यक्ष कर

केन्द्र सरकार — राज्य सरकार

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क :– यह वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाता है वर्तमान में इसे GST में शामिल कर लिया गया।

पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर

- कच्चा तेल
- प्राकृतिक गैस
- पेट्रोल
- डीजल
- वायुयान का ईंधन

- तम्बाकू उत्पादों पर GST के साथ–साथ उत्पाद शुल्क भी लगाया जाता है।
- सीमा शुल्क – यह आयात निर्यात पर लगाया जाता है, Basic Custom Duty को छोड़कर अन्य सभी को GST में शामिल कर लिया गया।
- सेवा कर Service Tax : GST में शामिल कर लिया गया।
- केन्द्रीय बिक्री कर (Central Sales Tax) : एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाली बिक्री पर यह कर लगाया जाता था। वर्तमान में GST में शामिल कर लिया गया।

राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर –

- Sales Tax – VAT - एक ही राज्य में होने वाली बिक्री पर यह कर लगाया जाता है।
- पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर अन्य सभी को GST में शामिल कर लिया गया।
- State Excise Duty (राज्य उत्पाद शुल्क) – मानव उपयोग के एल्कोहल पर यह कर लगाया जाता है इसे पूर्णरूप से GST के बाहर रखा गया है।
- यह राज्य की आय का मुख्य स्त्रोत है।

अन्य कर –

- मनोरंजन कर – GST में शामिल
- Luxury Tax (विलासिता कर) - GST में शामिल
- विज्ञापन कर (Advertisement Tax) - GST में शामिल
- Octroi/Entry Tax (चुंगी/ प्रेवश कर) - GST

- Lottery Tax (लॉटरी टेक्स) - GST
- Electricity Duty (विद्युत शुल्क) - GST में शामिल नहीं किया गया।
- ऐसे कर जो कि स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित किये जा चुके हैं। GST में शामिल नहीं किये गये।

GST (Goods and Service Tax)

- पृष्ठभूमि – भारत में GST की सिफारिश 2003 में विजय केलकर समिति के द्वारा की गई।
- 2006 के बजट में घोषणा की गई कि 2010 तथा GST को लागू कर दिया जायेगा। परन्तु राज्य सरकारों की असहमति के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका।
- 2016 में GST के लिए संविधन में 101वाँ संविधान संशोधन किया गया।
- संसद के द्वारा 4 कानून पारित किये गये–

A. C-GST Act (Central - GST)
B. IGST Act (Integrated GST)
C. UT GST Act (Union Territory GST)
D. GST Act (Compensation to State)

1 July 2017 से भारत में GST लागू कर दिया गया।

GST की विशेषताएँ –

1. यह एक व्यापक कर है क्योंकि अधिकतर अप्रत्यक्ष करों को इसमें शामिल कर लिया गया है।
2. इससे ''एक राष्ट्र एक कर'' के सिद्धान्त को लागू किया गया है अर्थात् भारत एकीकृत बाजार बन चुका है।
3. GST वस्तु व सेवा की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
4. यह एक बहुस्तरीय कर है क्योंकि यह मूल्य संवर्धन के प्रत्येक स्तर पर आरोपित किया जाता है।
5. यह एक मूल्य सवंर्धित कर है, अर्थात् कर केवल मूल्य संवर्धन पर ही लगाया जाता है।
6. केन्द्र सरकार के द्वारा CGST लगाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा SGST लगाया जाता है। यदि वस्तु व सेवा की आपूर्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में की जाती है तब IGST केन्द्र सरकार के द्वारा आरोपित किया जाता है।
7. IGST का संग्रहण केन्द्र सरकार करती है अपना हिस्सा रखने के बाद राज्य का हिस्सा उपयोग करने वाले राज्यों को दिया जाता है। इसलिए GST को गंतव्य आधारित कर कहा जाता है। आयात पर भी IGST लगाया जाता है।
8. CGST और SGST एक ही आधार पर लगाया जाता है इससे Cascading Effect (केस्केडिंग प्रभाव) दूर होता है।
9. मूल्य सवंर्धित कर होने के कारण भी Cascading Effect दूर होता है। इसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट व्यवस्था को अपनाया गया।
10. सामान्यतः GST की 5 मुख्य दरें हैं।
    0% - दूध, अण्डा, दही, लस्सी
    5% - चीनी, पनीर, कॉफी बीज, घरेलू LPG
    12% - मक्खन, घी, बादाम
    18% - हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, पास्ता
    28% - छोटी कारे, AC फ्रीज, Luxury Item
11. सामान्य राज्यों के लिए 40 Lac तथा विशेष राज्यों के लिए 20 Lac से अधिक के टर्नओवर वाले व्यवसायिक संस्थानों को GST में पंजीकृत करवाना अनिवार्य है।
12. पंजीकरण के बाद एक 15 अंको का GST पहचान नम्बर जारी किया जाता है।
13. GST से जुड़े सभी महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए GST परिषद् का गठन किया गया।

GST परिषद् – यह एक संवैधानिक संस्था है इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 279 (A) जोड़ा गया।

GST परिषद् के कार्य –

1. कौनसे करों को GST में शामिल किया जाना चाहिए इनका निर्धारण करना।
2. पेट्रोलियम उत्पाद को GST में शामिल करने की तारीख का निर्धारण करना।
3. GST की दरों का निर्धारण करना।
4. वस्तु व सेवाओं पर GST आरोपित करना।
5. GST को लागू करने में आने वाली समस्याओं को दूर करना।
6. आपदा के समय GST दरों का निर्धारण करना।
7. GST से संबंधित विवादों को हल करना।

GST परिषद् की संरचना

केन्द्रीय वित्तमंत्री (अध्यक्ष)	सभी राज्यों के वित्तमंत्री
केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री	विधानसभा वाले केन्द्र शासित प्रदेश
केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि	राज्य सरकार के प्रतिनिधि

निर्णय लेने की प्रक्रिया –

- निर्णय मतदान के द्वारा लिये जाते हैं केन्द्र सरकार का मतमूल्य 33% है तथा राज्य सरकारों का मतमूल्य 67% है।
- कोई भी निर्णय लेने के लिए 75% मतों की आवश्यकता होती है। अर्थात् न तो अकेले केन्द्र सरकार निर्णय ले सकती है और न ही अकेले राज्य सरकार निर्णय ले सकती है।
- केन्द्र व राज्यों को सहयोग करना होता है जिससे सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलता है।

GST मुआवजा –

- GST को लागू करते समय केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को आश्वासन दिया कि GST के कारण होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई केन्द्र सरकार के द्वारा की जायेगी।
- 5 वर्ष के लिए
- आधार वर्ष – 2015-16
- प्रतिवर्ष 14% की वृद्धि
- मुआवजे के भुगतान के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा GST – Compensation cess लगाया गया।
- कोरोना और आर्थिक मंदी के कारण राज्य सरकारों को कुल 2.35 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। परन्तु केन्द्र सरकार कोरोना के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए तैयार नहीं थी।
- GST परिषद् के माध्यम से इस विवाद को हल किया गया।,
- केन्द्र सरकार ने RBI के माध्यम से एक विशेष ऋण व्यवस्था की।
- राज्य सरकारों को लगभग 1.1 लाख करोड़ के ऋण दिये गये इसे BACK to BACK Loan कहते हैं।

E-Way Bill –

- GST के अन्दर E-Way Bill को अनिवार्य कर दिया गया है।

- इसका प्रयोग परिवहन के लिए किया जाता है।
- इसे मोबाइल एप, वेबसाइट आदि के उत्पादित किया जा सकता है।

Tax Reforms In India

महत्वपूर्ण समितियाँ –

- राजा चेलैया समिति (1991) – कर सुधार
- विजय केलकर समिति (2002)
- पार्थ सारथी सोम समिति (2013) – कर प्रशासन के सुधार के लिए
- जस्टिस आर. वी. ईश्वर पैनल
- अरविन्द मोदी टास्क फोर्स
- प्रत्यक्ष कर संहिता पर अखिलेश रंजन पैनल

Springboard ACADEMY

आर्थिक समृद्धि व आर्थिक विकास

GDP – (Gross Domestic Product) (सकल घरेलू उत्पाद) –

यह एक विशिष्ट समयावधि के भीतर किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है।

इस परिभाषा के चार मुख्य भाग हैं–

1. अंतिम वस्तु और सेवाएँ
2. किसी देश का घेरलू क्षेत्र
3. एक विशिष्ट समयावधि के भीतर
4. मौद्रिक मूल्य

1. अंतिम वस्तु और सेवाएँ :

- वे वस्तु और सेवाएँ जिन्होंने उत्पादन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और उपयोग के लिए तैयार है।
- इनका उपयोग किसी अन्य उत्पादन में आपूर्ति के रूप में नहीं किया जायेगा। अर्थात् हम इसमें मध्यस्थ वस्तु व सेवाओं को शामिल नहीं करते हैं।
  उदाहरण : कार एक अंतिम वस्तु है और उसमें इस्तेमाल होने वाले टायर मध्यस्थ वस्तु होते हैं।

2. किसी देश का घरेलू क्षेत्र :

- इसमें किसी देश का भौगोलिक क्षेत्र
- अनन्य आर्थिक क्षेत्र (200 समुद्री मील)
- विदेशों में दूतावास और सैन्य अड्डे
- देश में पंजीकृत जहाज और विमान

3. विशिष्ट समयावधि :

- GDP की गणना 1 वित्तीय वर्ष के लिए की जाती है। (1 April to 31 March)
- वित्तीय वर्ष को 4 तिमाहियों में बाँटा जाता है।

4. मौद्रिक मूल्य :

- (मात्रा × मूल्य = मौद्रिक मूल्य)

GNP – (Gross National Product)

यह एक विशिष्ट समयावधि के भीतर किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है।

GNP = GDP + विदेशों में कमाई करने वाले भारतीय निवासी – भारत में विदेशी निवासी की कमाई

स्कल राष्ट्रीय उत्पाद = सकल घेरलू उत्पाद + विदेशों में शुद्ध कारक आय

GNP = (GDP + Net Factor Income Abroad)

नागरिक दो प्रकार –
- प्रवासी भारतीय (Resident Indians)
- अप्रवासी भारतीय (Non-Resident Indian) वे नागरिक जिन्हें विदेश में रहते हुए 6 माह हो गये।

- GNP में NRI (Non Resident Indian) के द्वारा उत्पादित वस्तु व सेवाओं की गणना नहीं की जाती है।

Gross → Net

Net = Gross – Depreciation

NDP (Net Domestic Product) = GDP – Depreciation
NNP (Net National Product) = GNP – Depreciation
GDP की गणना साधन लागत पर भी की जा सकती है और बाजार मूल्य पर भी की जा सकती है।
साधन लागत उत्पादन के चार कारकों की लागत

Land	Labour	Capital	Entrepreneur
↓	↓	↓	↓
किराया	मजदूरी	ब्याज	लाभ

साधन लागत = किराया + मजदूरी + ब्याज + लाभ
बाजार मूल्य = साधन लागत + अप्रत्यक्ष कर − सब्सिडी
$GDP_{MP} = GDP_{FC}$ + Indirect Tax – Susidy
$GNP_{MP} = GNP_{FC}$ + Indirect Tax – Susidy
$NDP_{MP} = NDP_{FC}$ + Indirect Tax – Susidy
$NNP_{MP} = NNP_{FC}$ + Indirect Tax – Susidy
$NNP_{FC} = NNP_{MP}$ - Indirect Tax + Susidy

- साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) को ही अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय कहा जाता है।
- प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) = $\frac{\text{राष्ट्रीय आय}}{\text{जनसंख्या}} \times 100$

$$\text{PCI} = \frac{NNP_{FC}}{Population}$$

Personal Income = National income - Corporate tax - Undistributed profit - Net interest payment from household + Transfer payment

Personal Disposable Income (PDI) = Personal Income - Personal Tax Payment – Non tax payment like pension, insurance, PF

Current Price(प्रचलित कीमत) v/s Constant Price(स्थिर कीमत)

- जब GDP की गणना वर्तमान वर्ष की कीमतों पर की जाती है तब इसे प्रचलित कीमतों पर GDP कहा जाता है इसमें महंगाई का प्रभाव शामिल होता है। इसे Nominal GDP भी कहा जाता है।
- जब GDP की गणना आधार वर्ष की कीमतों पर की जाती है तो स्थिर कीमतों पर GDP कहा जाता है। इसमें महंगाई के प्रभाव को हटा दिया जाता है, इसे Real GDP (वास्तविक GDP) कहा जाता है।

$$\text{GDP Deflater} = \frac{Nominal\ GDP}{Real\ GDP}$$

- GDP Deflater महंगाई का संकेतक है यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक से अधिक सटीक है। परन्तु अधिक प्रचलित नहीं है क्योंकि इसकी गणना में अधिक समय लगता है।

GDP गणना की विधियाँ–

1. Income Method (आय विधि)
2. Expenditure Method (व्यय विधि)
3. Production Method (उत्पादन विधि)

आय विधि – उत्पादन के कारकों की लागत को जोड़ दिया जाता है।
(किराया + मजदूरी + ब्याज + लाभ)

व्यय विधि– उपभोग व्यय + निवेश + सरकारी व्यय + निर्यात–आयात
$C + I + G + (X-M)$

उत्पादन विधि– अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन की गणना की जाती है।
मूल्य संवर्धन = उत्पादों का कुल बिक्री मूल्य – मध्यस्थ वस्तुओं की लागत

- उत्पादन विधि से गणना की गई GDP को GVA (Gross Value Added) कहा जाता है।
- भारत में GDP की गणना NSO के द्वारा की जाती है यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ,
- आधार वर्ष – 2011-12
- भारत में GDP की गणना के लिए व्यय विधि व उत्पादन विधि का प्रयोग किया जाता है।

आर्थिक समृद्धि व आर्थिक विकास

आर्थिक समृद्धि (Economic Growth)	आर्थिक विकास (Economic Development)
• संकीर्ण अवधारणा • उत्पादन में वृद्धि मापी जाती है। • मात्रात्मक अवधारणा • एक विमीय • विकसित देशों के लिए महत्त्वपूर्ण • GDP, GNP, PCI आदि जैसे संकेतकों का उपयोग किया जाता है। • मापने में आसान	• व्यापक अवधारणा • उत्पादन के साथ–साथ सामाजिक कल्याण को मापा जाता है। • गुणात्मक अवधारणा • बहुआयामी • विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण • HDI, Happiness Index जैसे संकेतकों का उपयोग किया जाता है। • मापने में अपेक्षाकृत कठिन

मानव विकास रिपोर्ट

- यह प्रतिवेदन सयुंक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है
- इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक जारी किये जाते है

✓ **मानव विकास सूचकांक**

ये सूचकांक 1989 ई. में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री मेहबूब उल हक़ के द्वारा विकसित किया गया
इसमें भारत के अमृत्य सेन ने सहयोग किया
1990 में इसको प्रकाशित किया गया

- इसकी गणना तीन कारको के आधार पर की जाती है (स्वास्थ्य , शिक्षा , जीवन स्तर)
- **स्वास्थ्य**
- इसमें एक संकेतक का प्रयोग किया जाता है

जन्म के समय जीवन प्रत्याशा -
20 वर्ष (एच डी आई मूल्य 0)
85 वर्ष (एच डी आई मूल्य 1)

- **शिक्षा**

इसके लिए दो संकेतकों का प्रयोग किया जाता है
(1) स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष [(18 वर्ष -एच डी आई मूल्य = 1), (0 वर्ष -एच डी आई मूल्य = 0)]
(२) स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष [(15 वर्ष -एच डी आई मूल्य = 1), (0 वर्ष -एच डी आई मूल्य = 0)]

- **जीवन स्तर**

इसको मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाता है
देशो के बीच तुलना के लिए **क्रय शक्ति समता** का प्रयोग किया जाता है अर्थात
एक ही वस्तु को अलग अलग देशो में खरीदने के लिए कितनी मुद्रा की आवश्यकता होती है
क्रय शक्ति क्षमता की गणना के लिए दी इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन के द्वारा द्वारा बिग मैक बर्गर इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है।

HDI रिपोर्ट 2021-22

प्रथम रैंक =स्विट्ज़रलैंड
अंतिम रैंक (191) - दक्षिणी सूडान
भारत की रैंक (एच् डी आई में) 2021 में 132 (स्कोर =0.633)

India	
2021 HDI value	0.633
HDI change from 2020	-0.009
Life expectancy at birth	67.2 years
Expected years of schooling	11.9 years
Mean years of schooling	6.7 years
Gross National Income per capita	6,590 (constant 2017 PPP$)

अन्य सूचकांक

✓ **असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक**

- इसके तहत मानव विकास सूचकांक पर असमानता का प्रभाव की गणना की जाती है अर्थात यदि असमानता नहीं होती तब मानव विकास में कितनी वृद्धि हो सकती
- 2021 में इसका मूल्य =0.475 है। असमानता के कारण भारत को मानव विकास में 25% का नुकसान हुआ है।

✓ **लैगिंक विकास सूचकांक**

- महिलाओ तथा पुरुषो के लिए अलग-अलग एच डी आई की गणना की जाती है तथा उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है
- 2021 में इसका मूल्य =0.849 है।
- महिलाओं का HDI = 0.567
- पुरूषों का HDI = 0.668

✓ **लैगिंक असमानता सूचकांक**

- इसकी गणना 5 कारको के आधार पर की जाती है
  - मातृ मृत्यु दर
  - किशोरवस्था में जन्म दर
  - संसद में भागीदारी
  - न्यूनतम माध्यमिक शिक्षा प्राप्त जनसँख्या
  - श्रम बल भागीदारी
- 2021 में इसका मूल्य =0.490 है।
- भारत की रैंक = 122

✓ **ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स (17 वां संस्करण)**
यह सूचकांक वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है
इसमें भारत की रैंक (2023) - 127 / 146
प्रथम रैंक = आइसलैंड

✓ **ग्रहीय दवाब समायोजित मानव विकास सूचकांक (PHDI),**

- प्रथम बार 2020 में जारी
- इसके तहत मानव विकास के कारण पृथ्वी पर पड़ने वाले दवाब की गणना की जाती है
- इसमें कार्बन उत्सर्जन तथा अपशिष्ट उत्पादन की गणना की जाती है

विश्व खुशहाली रिपोर्ट

- यह प्रतिवेदन (रिपोर्ट) सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोलुशन नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है जो की सयुंक्त राष्ट्र संघ की एक वैश्विक पहल है
- ये रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 20 मार्च (विश्व खुशहाली दिवस) को जारी की जाती है

✓ **विश्व खुशहाली सूचकांक**

- इस सूचकांक के लिए गालुप सर्वे करवाया जाता है
- सर्वे के तहत तीन मुख्य प्रश्न पूछे जाते है
  (1) **जीवन का मूल्यांकन :** इसमें जीवन को 1 से 10 के बीच अंक देने होते है
  (2) **सकारात्मक भाव (पॉजिटिव इमोशन) :** क्या व्यक्ति को सर्वे वाले दिन कोई सकारात्मक भाव जैसे हंसी, खुशी आनंद महसूस किया ?
  (3) **नकारात्मक भाव (नेगेटिव इमोशन) :** क्या व्यक्ति को सर्वे वाले दिन कोई नकारात्मक भाव जैसे क्रोध, तनाव , दुःख चिंता महसूस किये है ?
- इसके अतिरिक्त 6 अन्य संकेतक का प्रयोग भी किया जाता है

- प्रति व्यक्ति जी डी पी
- स्वस्थ जीवन स्तर
- सामाजिक सुरक्षा
- चुनने की आज़ादी
- उदारता
- भ्रष्टाचार का अभाव

2023 की रैंक

प्रथम रैंक = फ़िनलैंड

भारत की रैंक = 126 (2022 में 136)

अंतिम रैंक - अफगानिस्तान = 137

Springboard ACADEMY

Poverty
गरीबी

- **गरीबी की गणना 2 प्रकार से की जाती है।**
  A. सापेक्ष गरीबी
  B. निरपेक्ष गरीबी

  सापेक्ष गरीबी – इसके तहत विभिन्न व्यक्तियों की आय का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें असमानता को मापा जाता है।

  Ex. A व्यक्ति → 100 Cr. B व्यक्ति → 1 Cr.
  (A की तुलना में B गरीब है)

- सापेक्ष गरीबी में गरीबी आंकलन के मानदण्ड विभिन्न देशों के आर्थिक विकास के चरण के साथ भिन्न–भिन्न होते हैं।
- विकसित देशों के लिए मानदण्ड अलग है और विकासशील देशों के लिए मानदण्ड अलग है।
- इसके तहत जनता के बीच राष्ट्रीय आय के वितरण को देखा जाता है। अर्थात् आर्थिक असमानता की गणना की जाती है।
- आय का वितरण के लिए लॉरेन्ज वक्र का प्रयोग किया जाता है।

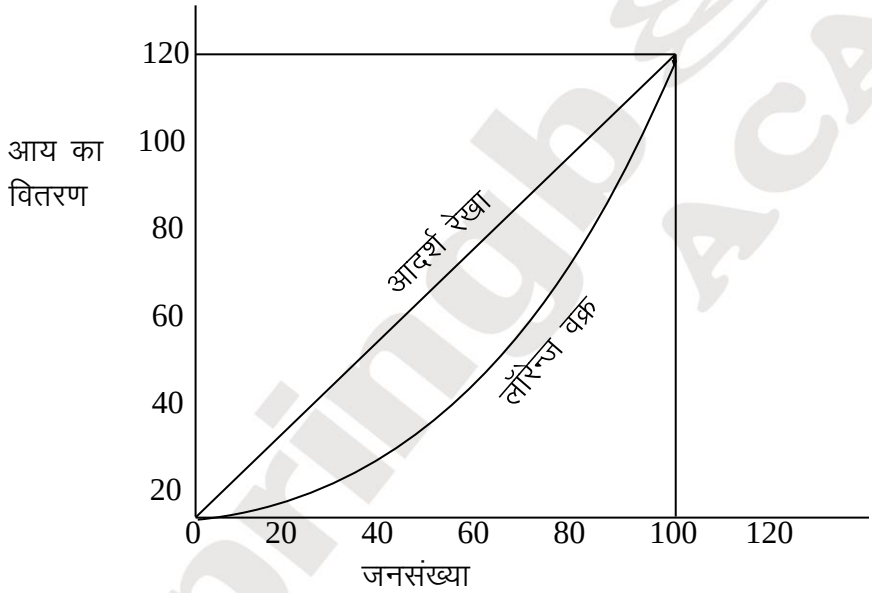

- आदर्श रेखा यह दर्शाती है कि आय का वितरण समान रूप से हुआ है अर्थात् उस देश में कोई असमानता नहीं है।
- वास्तविक रूप से ऐसा कोई देश नहीं होता है।
- लॉरेन्ज वक्र आदर्श रेखा के नजदीक या दूर हो सकता है।
- यदि लॉरेन्ज वक्र आदर्श रेखा के करीब है तब इसका अर्थ है– उस देश में असमानता कम है।
- लॉरेन्ज वक्र आदर्श रेखा से दूर है तब इसका अर्थ है उस देश में असमानता अधिक है।

गिनी गुणांक–

- यह लॉरेन्ज वक्र का गणितीय रूप है।
- गिनी गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है।

0 – पूर्ण समानता
1 – पूर्ण असमानता

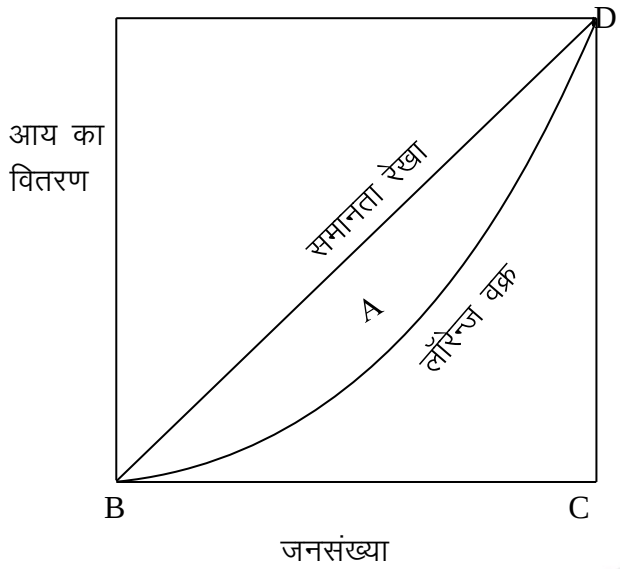

$$\text{Gini Cofficient} = \frac{Shaded\ Area\ A}{Total\ Area\ BCD}$$

- प्रत्येक देश के गिनी गुणांक का मान 0 - 1 के बीच होगा यदि यह मान 0 के करीब है तब इसका अर्थ है कि उस देश में असमानता कम है।
- यदि यह मान 1 के करीब हो तो इसका अर्थ है उस देश में असमानता अधिक है।

निरपेक्ष गरीबी–

- जीवन जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की कुछ बुनियादी आवश्यकता होती है यदि कोई व्यक्ति इन बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है तब उस व्यक्ति को निरपेक्ष रूप से गरीब माना जाता है।
- बुनियादी आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है।
- जो व्यक्ति इस गरीबी रेखा के नीचे है उसे BPL (Below Poverty Line) कहा है जो व्यक्ति इस रेखा से ऊपर है तो उसे APL (Above Poverty Line) कहा जाता है।
- गरीबी की गणना व्यक्ति के आधार पर ना करके परिवार के आधार पर की जाती है क्योंकि बहुत सी बुनियादी आवश्यकता ऐसी होती है जो कि पूरे परिवार के बीच साझा करती है।
  उदा. – मकान
- गरीबी की गणना के लिए उपयोग पर किये गये खर्च को देखा जाता है। आय को नहीं।
- परिवार में 5 सदस्य माने जाते हैं।
- भारत में गरीबी की गणना NSO के द्वारा की जाती है।
- गरीबी रेखा का निर्धारण पूर्व में योजना आयोग के द्वारा किया जाता था और वर्तमान में नीति आयोग द्वारा किया जाता है।
- गरीबी की गणना की विधि को 'सिर गिनने की विधि' (Head Count Method) कहा जाता है।
- वैश्विक स्तर पर World Bank, Asian Development Bank and United Nation के द्वारा भी गरीबी की गणना की जाती है।
- विश्व बैंक की गरीबी रेखा – $ 2.15 per day
- United Nation – Multi Dimensional poverty Index
  (बहुआयामी गरीबी सूचकांक)

- भारत में गरीबी मापन के लिए कैलोरी उपभोग का प्रयोग किया जाता है।
  शहर – 2100 कैलोरी
  ग्रामीण – 2400 कैलोरी
- गरीबी की गणना करने के लिए 3 मुख्य विधियों का प्रयोग करते हैं।
  1. **URP (Uniform Reference Period)/(Uniform Recall Period)**
     - इसके तहत यह देखा जाता है कि किसी परिवार ने पिछले 30 दिन में खाद्य वस्तुओं पर कुल कितना व्यय किया।
  2. **MRP (Mixed Reference Period)/(Mixed Recall Period)**
     इसके तहत यह देखा जाता है कि किसी परिवार ने पिछले 365 दिनों में कपड़े, जूते, शिक्षा, स्वास्थ्य, टिकाऊ वस्तुएँ (T.V. फ्रिज) आदि पर कुल कितना व्यय किया।
  3. **MMRP (Modified MRP)**

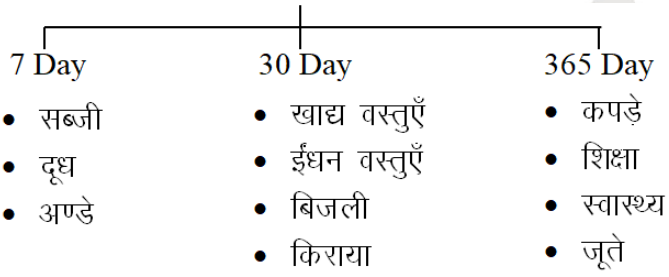

भारत में गरीबी की गणना–

- भारत में पहली बार गरीबी की गणना दादाभाई नौरोजी ने 1867-68 में की थी।
- 1938 में जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय आयोजना समिति का गठन किया गया।
- 1944 में पूँजीपतियों द्वारा BOMBAY PLAN बनाया गया। जिसके अनुसार गरीबी रेखा रु. 75 प्रतिव्यक्ति/वर्ष इसे 'टाटा बिड़ला प्लान' भी कहा जाता है।

स्वतंत्रता के बाद गणनाएँ–

- 1962 में योजना आयोग के द्वारा एक विशेषज्ञ समूह गठित किया गया।
- **V.M.दांडेकर और रथ समिति** – 1971
  पहली बार कैलोरी खपत का प्रयोग गरीबी मापन के लिए किया गया।
  2250 कैलोरी/व्यक्ति/ दिन
- **Y.K. अलघ समिति** – 1979
  कैलोरी के साथ–साथ पोषण आवश्यकता पर बल
  ग्रामीण – 2400 कैलोरी/ व्यक्ति/दिन
  शहरी – 2100 कैलोरी/ व्यक्ति/दिन
- **D.T. लकड़ावाला समिति** – 1993
- **सुरेश तेंदुलकर समिति – 2005**

प्रमुख अनुशंसाएँ –

1. कैलोरी की खपत के साथ–साथ निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे– दूध, चावल, सब्जियाँ, खाद्य तेल, चीनी, नमक, नशीले पदार्थ। सूखे मावे, कपड़े, जूते, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन।
2. ग्रामीण और शहरी भारत में एक समान गरीबी रेखा टेकरी (PLB) का उपयोग किया जाना चाहिए।

3. मिश्रित संदर्भ अवधि (MRP) आधारित अनुमान के बजाय समान संदर्भ अवधि (URP) आधारित अनुमानों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

   ग्रामीण गरीबी रेखा (2011 – 12) – 4080 रु. प्रति परिवार/माह

   शहरी गरीबी रेखा (2011 - 12) – 5000 रु. प्रति परिवार/माह

4. गरीबी का प्रतिशत

   2004 – 05 – 37.2%

   2011 – 12 – 21.9%

- **रंगराजन समिति –** 2012
  इनके द्वारा Modified MRP का प्रयोग किया गया है।

गरीबी रेखा–

- शहरी क्षेत्र – 7035 रु. परिवार/माह
- ग्रामीण क्षेत्र – 4860 रु. परिवार/माह

गरीबी प्रतिशत–

2009 – 10 – 37%
2011 – 12 – 29.5%

- वैश्विक संस्थानों के द्वारा गरीबी का आंकलन किया गया।
  जैसे– IMF (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) – 2019 में गरीबों का प्रतिशत = 0.8%
  World Bank (2019) = 10.2%

नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक–

- पहली बार 2021 में जारी किया गया।
- गरीबी को मापने के लिए 3 आयामों का प्रयोग किया जिन्हें 12 संकेतकों में बाँटा गया है।
  आयाम (Dimension)- संकेतक (Indicator)

स्वास्थ्य (1/3) → पोषण
→ बाल एवं किशोर मृत्यु दर
→ जन्म के समय स्वास्थ्य सुविधा (मातृत्व स्वास्थ्य) (UN के सूचकांक में शामिल नहीं)

शिक्षा (1/3) → शिक्षा के वर्ष
→ स्कूल में उपस्थिति

जीवनस्तर (2/3) → भोजन पकाने के लिए ईंधन (LPG)
→ स्वच्छता
→ पेयजल
→ विद्युत
→ पक्का घर
→ परिसम्पतियाँ (T.V. फ्रिज)
→ Bank Account (UN के सूचकांक में शामिल नहीं)

MPI रिपोर्ट 2023 के प्रमुख तथ्य–

- इस सूचकांक की गणना करने के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 का प्रयोग किया गया।
- भारत में बहुआयामी गरीबी जनसंख्या वर्ष 2015-16 के 24.85% से घटकर वर्ष 2019-21 में **14.96%** हो गई, (गिरावट – 9.8%)
- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी – 19.28% तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी – 5.27%
- Ist – केरल – 0.55%
- अंतिम – बिहार – 33.76% (सर्वाधिक कमी)
- 10^{th} – राजस्थान – 15.31% (कमी– 13.5%)

गरीबी का निवारण–

भारत में गरीबी निवारण /उन्मूलन के लिए दो मुख्य अवधारणाएँ प्रचलित हैं।

1. रिसाव सिद्धान्त (Trickle down Theory)

- इस सिद्धान्त के समर्थक – डॉ. जगदीश भगवती, अरविन्द पनगड़िया
- पुस्तक – Why Growth Matters
- इनके अनुसार सरकार को भौतिक आधारभूत ढाँचे पर अधिक खर्च करना चाहिए तथा आर्थिक सुधारों को लागू करना चाहिए जिससे कि निवेश को आकर्षित किया जा सके तथा रोजगार के नये अवसर सृजित किये जा सके।
- निवेश के बढ़ने से सरकार का कर राजस्व भी बढ़ता है।
- अल्पकाल में इस विधि से असमानता बढ़ती है परन्तु दीर्घकाल में गरीबी निवारण किया जा सकता है।

2. प्रत्यक्ष निवारण–

- समर्थक – अमर्त्य सेन, ज्यां द्रेज
- पुस्तक – An Uncertain glory : India and its Contradictions
- इनके अनुसार सरकार के द्वारा गरीब परिवारों को प्रत्यक्ष सहायता देनी चाहिए।
- इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए।
- जैसे– रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, आवास योजना, पोषण योजना
- सरकार को सामाजिक आधारभूत ढाँचे पर अधिक खर्च करना चाहिए।
- जैसे– शिक्षा, चिकित्सा, पोषण, शुद्ध पेयजल
- वर्तमान में उपर्युक्त दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है।